

मास्टर  
परिपत्र

# शाखा प्राधिकरण



बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक

केंद्रीय कार्यालय

मुंबई

# शाखा प्राधिकरण

(30 जून 2007 तक अद्यतन)

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
केंद्रीय कार्यालय  
मुंबई

मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in) में भी देखा जा सकता है और वहां से डाउनलोड किया जा सकता है।

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग का ई-मेल : [cgmicdbodco@rbi.org.in](mailto:cgmicdbodco@rbi.org.in) एवं  
[helpdbod@rbi.org.in](mailto:helpdbod@rbi.org.in)

## पैरा संदर्भ

### विषय

### पृष्ठ सं.

I.

#### नीतिगत पहलू

1.

विधिक (कानूनी) अपेक्षाएं .....

4

2.

परिभाषा .....

4

3.

शाखा प्राधिकरण नीति .....

4

II.

#### प्रक्रिया संबंधी पहलू

4.

आवेदन की प्रक्रिया .....

6

5.

प्राधिकरण की वैधता .....

7

6.

7.

शाखाएं खोलना .....

केंद्रों का प्रतिस्थापन .....

7

8

8.

केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र/बैंक ऑफिस स्थापित करना . . . . .	8
9.	
कॉल सेंटर . . . . .	8
10.	
11.	
12.	
व्यावसायिक सुविधादाता/संपर्ककर्ता मॉडल. . . . .	
दरवाजे पर (डोर स्टेप) बैंकिंग. . . . .	
शाखाओं का स्थान बदलना . . . . .	
12.1 सामान्य. . . . .	
12.2 केंद्र (शहर/कस्बा/गांव) के भीतर स्थान बदलना . . . . .	
12.3 ग्रामीण शाखाएं . . . . .	
12.3.1 ब्लॉक के भीतर . . . . .	12.3.2 ब्लॉक के बाहर . . . . .
. . . . .	
12.4 महानगरीय, शहरी एवं अर्ध शहरी शाखाएं . . . . .	
8	
9	
9	
9	
10	
10	
11	
13.	
शाखाओं का परिवर्तन . . . . .	
13.1 विशेषीकृत शाखा का परिवर्तन . . . . .	
13.2 सामान्य बैंकिंग शाखाओं को किसी विशेषीकृत शाखा के रूप में परिवर्तन. . . . .	
. . . . .	
13.3 एक्सटेंशन काउंटर को पूर्ण शाखा में परिवर्तन . . . . .	
13.4 ग्रामीण शाखा का अनुषंगी कार्यालय में परिवर्तन . . . . .	

11

11

11

12

14.

शाखाओं का विलयन . . . . .

14.1 सामान्य. . . . .

14.2 एकमात्र ग्रामीण/अर्ध शहरी शाखा का विलयन . . . . .

14.3 महानगरीय, शहरी और अर्ध शहरी शाखा का विलयन. . . . .

12

12

13

15.

शाखाएं बंद करना . . . . .

15.1 सामान्य. . . . .

15.2 ग्रामीण शाखाएं बंद करना . . . . .

15.3 महानगरीय, शहरी और अर्ध शहरी शाखाएं . . . . .

13

13

13

III.

**विविध पहलू**

16.

परिसरों का अधिग्रहण - शाखाएं खोलना . . . . .

14

17.

केंद्रों का जनसंख्या समूह-वार वर्गीकरण .....	14
18. भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना देना .....	14
19. विदेशी बैंक .....	15
अनुबंध I .....	16
अनुबंध II .....	20
अनुबंध III .....	21
अनुबंध IV (क) .....	22
अनुबंध IV (ख) .....	23
अनुबंध IV (ग) .....	
अनुबंध IV (घ) .....	24

25

अनुबंध V .....

28

अनुबंध VI .....

34

अनुबंध VII .....

35

अनुबंध VIII .....

36

अनुबंध IX .....

37

अनुबंध X .....

38

परिशिष्ट .....

62

## शाखा प्राधिकरण पर मास्टर परिपत्र

### **I. नीतिगत पहलू**

#### **1. विधिक (कानूनी) अपेक्षाएँ**

बैंकों द्वारा शाखाएं खोलने और वर्तमान शाखाओं का स्थान बदलने का कार्य बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के उपबंधों से नियंत्रित होता है। इन उपबंधों के अनुसार बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना भारत में अथवा विदेश में कारोबार का नया स्थान नहीं खोल सकते हैं अथवा न ही कारोबार के मौजूदा स्थान को, उसी शहर, कस्बे या गांव को छोड़कर, अन्यत्र ले जा सकते हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार यह निर्धारित है कि इस धारा के अंतर्गत कोई भी अनुमति प्रदान करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक को धारा 35 के अंतर्गत निरीक्षण करके अथवा अन्यथा बैंकिंग कंपनी की वित्तीय स्थिति और इतिहास, उसके प्रबंध तंत्र के सामान्य स्वरूप, उसके पूंजी-ढांचे की पर्याप्तता तथा अर्जन की संभावनाओं के संबंध में तथा इस बात से संतुष्ट होना होगा कि कारोबार का नया स्थान खोलना अथवा वर्तमान स्थान में परिवर्तन करना, जैसी स्थिति हो, जनहित में होगा। अतः नयी शाखा/कार्यालय खोलने से पहले वाणिज्य बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें। इस संबंध में स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय से, शहरी सहकारी बैंकों को शहरी बैंक विभाग से तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग से संपर्क करना चाहिए।

नीचे दिये गये दिशानिर्देश भारत में स्थित शाखाओं के प्राधिकरण की नीति से संबंधित हैं।

#### **2. परिभाषा**

शाखा प्राधिकरण नीति के प्रयोजन के लिए "शाखा" में ये शामिल होंगे : स्वयं पूर्ण शाखा, अनुषंगी (सेटलाइट) कार्यालय, विस्तार पटल, ऑफसाइट एटीएम (स्वचालित टेलर मशीन), प्रशासनिक कार्यालय, नियंत्रक कार्यालय, सेवा शाखा (बैंक ऑफिस या प्रसंस्करण केंद्र) तथा क्रेडिट कार्ड सेंटर। कॉल सेंटर को शाखा के रूप में नहीं माना जाएगा। कॉल सेंटर वह है जहां ग्राहक को टेली-बैंकिंग सुविधा के माध्यम से केवल खाते या उत्पाद की जानकारी दी जाती है और ऐसे केंद्रों के माध्यम से कोई बैंकिंग लेनदेन नहीं किया जाता। साथ ही, कॉल सेंटरों में ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क की अनुमति नहीं है।

#### **3. शाखा प्राधिकरण नीति**

- (i) शाखा प्राधिकरण नीति को उदारिकृत और तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से शाखा प्राधिकरण नीति का एक ऐसा ढांचा स्थापित किया गया है जो बैंकों की मध्यावधि कार्पोरेट कार्यनीति तथा जनहित से सुसंगत होगा। बैंकिंग कंपनी की वित्तीय स्थिति और इतिहास, उसके प्रबंध तंत्र के सामान्य स्वरूप, उसके पूंजी-ढांचे की पर्याप्तता तथा



अर्जन की संभावनाओं के अलावा शाखा प्राधिकरण नीति के ढांचे में नीचे दिये गये पैराग्राफों में उल्लिखित तत्व होंगे ।

(ii) जहां तक नीतिगत ढांचे के जनहित आयामों का संबंध है, प्राधिकरण संबंधी अनुरोधों पर कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा :

(क) बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात पर अधिक बल देगा कि बैंकों द्वारा आम जनता, विशेषकर अपर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं वाले क्षेत्रों (ज़िलों) के सामान्य व्यक्तियों को दी गई बैंकिंग सुविधाओं के स्वरूप और व्याप्ति, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को वास्तविक ऋण-प्रवाह, उत्पादों का मूल्यन तथा उचित नये उत्पाद प्रारंभ करने और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उन्नत तकनीक का प्रयोग करने के साथ-साथ वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किए गए समग्र प्रयासों की क्या स्थिति है ।

(ख) इस प्रकार के मूल्यांकन में सम्मिलित होंगी - न्यूनतम शेष राशि की जरूरतों संबंधी नीति तथा यह बात कि क्या जमाकर्ताओं को न्यूनतम बैंकिंग सुविधाएं या "बिना तड़क-भड़क" वाली (नो फ्रिल्स) बैंकिंग सुविधाएं मिल रहीं हैं, बुनियादी बैंकिंग गतिविधि के प्रति निष्ठा, जैसे - जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना तथा ग्राहक सेवा की गुणवत्ता, जो कि *अन्य बातों के साथ-साथ* प्राप्त होनेवाली शिकायतों की संख्या और बैंक में उनके समाधान के लिए उपलब्ध तंत्र से प्रमाणित होगी ।

(ग) विभिन्न स्थानों पर बैंकिंग क्षेत्र में प्रतियोगिता के संवर्धन को प्रेरित करने की आवश्यकता ।

(घ) इस संबंध में विनियामक सुविधा भी प्रासंगिक होगी । इसके अंतर्गत शामिल हैं:

- न केवल विनियमन के आशय का अनुपालन बल्कि यह भी देखा जाएगा कि क्या बैंक की गतिविधियां विनियमन के अभिप्राय और अंतर्निहित सिद्धांतों के अनुरूप हैं ।
- बैंकिंग समूह के कार्यकलाप और बैंक के अपनी सहायक, संबद्ध तथा सहयोगी संस्थाओं के साथ स्थापित संबंध का स्वरूप ।
- कार्पोरेट गवर्नेंस की गुणवत्ता, उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली ।

(iii) जहां तक क्रियाविधि संबंधी पहलुओं का संबंध है, प्रत्येक शाखा खोलने के लिए समय-समय पर प्राधिकार देने की प्रचलित प्रणाली के स्थान पर, एक परामर्शदायी और आपसी विचार-विमर्श वाली प्रणाली के माध्यम से समग्र रूप से वार्षिक आधार पर स्वीकृति देने की प्रणाली लागू की गई है । बैंकों की शाखा-विस्तार संबंधी कार्यनीति तथा मध्यावधि

की योजनाओं पर रिजर्व बैंक द्वारा अलग-अलग बैंकों से विचार-विमर्श किया जाएगा। मध्यावधि के ढांचे तथा विशिष्ट प्रस्तावों में एटीएम सहित सभी श्रेणियों की शाखाओं/कार्यालयों को खोलना/बंद करना/एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, शाखाओं का विलयन तथा शाखाओं का परिवर्तन शामिल है। सामान्यतः, वार्षिक आधार पर प्रदत्त प्राधिकरण/ अनुमोदन, पत्र की तारीख से लेकर एक वर्ष के लिए वैध होंगे।

- (iv) नई शाखा प्राधिकरण नीति के अनुसार बैंकों को "लाइसेंस" के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करना आवश्यक नहीं होगा। बैंकों को सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए वे नीचे दी गई क्रियाविधि का सावधानीपूर्वक अनुसरण करें।

## II. प्रक्रिया संबंधी पहलू

### 4. आवेदन की प्रक्रिया

4.1 मध्यावधि कार्यनीति तथा ऊपर पैरा 3 में दिए गए मुद्दों के आधार पर बैंकों को चाहिए कि वे वार्षिक आधार पर विनिर्दिष्ट केंद्रों में नयी शाखाएं खोलने के लिए विस्तृत प्रस्ताव बैंककारी विनियमन (कंपनी नियम), 1949 के अनुसार निर्धारित फॉर्म VI (नियम 12) में बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करें। फॉर्म VI का प्रोफार्मा **अनुबंध I** में संलग्न है। प्रस्तावित शाखाओं और ऑफसाइट एटीएम के खोलने का संक्षिप्त विवरण **अनुबंध II** और **III** में द्विभाषी फार्मेट में प्रोफार्मों के अनुसार प्रस्तुत किया जाए। इसके साथ-साथ **अनुबंध IV (क, ख, ग और घ)** में मांगी गयी सूचना भी भेजी जाए। उक्त फॉर्म VI ऑफसाइट एटीएम, प्रशासनिक कार्यालय / नियंत्रक कार्यालय, क्रेडिट कार्ड केंद्र और बैंक ऑफिस/प्रसंस्करण केंद्र के संबंध में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

4.2 बैंक अपनी वार्षिक शाखा विस्तार योजना वर्ष में किसी भी समय प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसे वित्तीय वर्ष अथवा कैलेंडर वर्ष के साथ संबद्ध नहीं किया गया है। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार जहां रिजर्व बैंक का अनुमोदन अपेक्षित है वहां शाखा विस्तार योजना में शाखाएं खोलने, बंद करने, उनके स्थान बदलने, विलयन और परिवर्तन के लिए विशिष्ट प्रस्ताव शामिल होने चाहिए। परिवर्तन में विस्तार काउंटर का स्वयंपूर्ण शाखा के रूप में दर्जा बढ़ाने और विशेषीकृत शाखा का अन्य श्रेणी की विशेषीकृत शाखा अथवा सामान्य बैंकिंग शाखा में परिवर्तन शामिल होगा। सामान्य बैंकिंग शाखा का विशेषीकृत शाखा के रूप में परिवर्तन करने हेतु अनुरोधों की जांच अलग-अलग मामले के आधार पर की जाएगी। वार्षिक शाखा विस्तार योजना पर बैंक के साथ सामान्यतः इसके प्रस्तुत किये जाने से चार सप्ताह के भीतर चर्चा की जाएगी और उसके बाद अनुमोदन की सूचना दी जाएगी।

4.3 उपर्युक्त के बावजूद, बैंक किसी भी अत्यावश्यक प्रस्ताव के लिए, विशेषकर ग्रामीण/अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रों (जिलों) में शाखाएं खोलने के लिए वार्षिक योजना के अंतर्गत दिए गए अनुमोदनों के अतिरिक्त वर्ष में किसी भी समय, भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं जिन पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा ।

4.4 वार्षिक शाखा विस्तार योजना (एबीइपी) तथा इस संबंध में रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जानेवाले अन्य प्रस्ताव बैंक के निदेशक मंडल से ऐसे या अन्य प्राधिकारी जिसे बैंक के निदेशक मंडल ने शक्तियां प्रदान की हो, से अनुमोदित होना चाहिए ।

## 5. प्राधिकरण की वैधता

5.1 प्रदान किए गए प्राधिकरण की वैधता बैंकों को जारी किए गए प्राधिकरण/अनुमति के समेकित पत्र को जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक होगी ।

5.2 सामान्य तौर पर प्राधिकरण की वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी । तथापि यदि बैंक एक वर्ष की वैधता अवधि के भीतर **किसी वास्तविक कारण** से कोई विशिष्ट शाखा खोलने में असमर्थ है, वहां वह भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंपविवि. केंका. (महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के मामले में) से समय बढ़ाने, जो कि **छः महीने** से अधिक नहीं होगा, के लिए संपर्क कर सकता है ।

5.3 जिन केंद्रों पर बैंक प्राधिकरण अवधि अर्थात् एक वर्ष (अथवा छः महीनों की बढ़ायी गई अवधि, जैसी भी स्थिति हो) के भीतर शाखा नहीं खोलता है तो प्रदान की गई अनुमति अपने आप रद्द हो जाएगी और यदि बैंक उस केंद्र पर फिर भी शाखा खोलना चाहता है तो उसे अगली वार्षिक शाखा विस्तार योजना में शामिल करना चाहिए ।

## 6. शाखाएं खोलना

6.1 बैंक शाखाएं खोलने के सभी प्रस्ताव वार्षिक शाखा विस्तार योजना में शामिल कर सकते हैं । बैंक यह नोट करें कि ग्रामीण शाखाएं खोलने के लिए जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है । बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले जिलों और ग्रामीण केंद्रों में शाखाएं खोलें । अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले जिलों में स्थित केंद्रों की पहचान करने में बैंकों को सुविधा हो, इसके लिए ऐसे जिलों की एक सूची **अनुबंध V** में दी गई है ।

**6.2 इसके अलावा, निजी क्षेत्र के नये बैंकों से अपेक्षित है कि वे निरंतर आधार पर अपनी 25 प्रतिशत शाखाएं अर्ध-शहरी और ग्रामीण केंद्रों में खोलें ।**

## **7. केंद्रों का प्रतिस्थापन**

7.1 शाखा खोलने के लिए केंद्र/स्थान का अंतिम निर्णय करने से पहले बैंक वहां पर शाखा खोलने के लिए कारोबार की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए उचित आकलन करें । सामान्य तौर पर केंद्रों के प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं दी जाएगी । फिर भी अपवादात्मक मामलों में वास्तविक समस्या के कारण यदि बैंक प्रस्तावित केंद्र में शाखा खोलने में असमर्थ होता है तो बैंक प्रतिस्थापन के लिए कारणों सहित बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय से वर्ष में एक बार संपर्क करें । बैंक नए केंद्र के संबंध में फार्म VI प्रस्तुत करें । ऐसे सभी अनुरोधों की जांच प्रत्येक मामले के आधार पर की जाएगी ।

7.2 केंद्रों के प्रतिस्थापन की अनुमति उसी प्रकार के जनसंख्या समूह या कम जनसंख्या समूह के केंद्रों के लिए दी जाएगी बशर्ते बैंक जारी किए गए प्राधिकरण की वैधता अवधि के भीतर शाखा खोलने के लिए आश्वासन दें । इसके अलावा, अपर्याप्त बैंकिंग वाले जिलों के केंद्र से ऐसे केंद्र में जो अपर्याप्त बैंकिंग वाले जिले में नहीं आता है, प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

## **8. केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र/बैंक ऑफिस स्थापित करना**

बैंक अन्य शाखाओं से प्राप्त अनुरोधों पर केवल आंकड़ा प्रसंस्करण, दस्तावेजों का सत्यापन और प्रसंस्करण, चेक बुक, मांग ड्राफ्ट आदि जारी करना इत्यादि जैसे बैंक ऑफिस कार्य तथा बैंकिंग कारोबार से जुड़े अन्य कार्य करने के लिए केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र/बैंक ऑफिस भी स्थापित कर सकते हैं । ये केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र/बैंक ऑफिस **ग्राहकों के साथ कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रखेंगे** । इन केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्रों/बैंक ऑफिसों को सेवा शाखाएं कहा जाएगा तथा इन्हें सामान्य बैंकिंग शाखाओं के रूप में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी । केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र/बैंक ऑफिस स्थापित करने के प्रस्ताव भी वार्षिक शाखा विस्तार योजना में सम्मिलित किये जा सकते हैं ।

## **9. कॉल सेंटर**

चूंकि कॉल सेंटर में कोई बैंकिंग लेनदेन नहीं किया जाता है, अतः पैरा 2 में परिभाषित किये अनुसार "कॉल सेंटर" की स्थापना के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है । फिर भी, कॉल सेंटरों को खोलने, बंद करने और उनका स्थान बदलने के ब्योरे पैरा 18 में बताये अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किये जाने चाहिए ।

## 10. व्यावसायिक सुविधादाता/संपर्ककर्ता मॉडल

रिज़र्व बैंक के 25 जनवरी 2006 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 58/22.01.001/2005-06 तथा 22 मार्च 2006 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 72/22.01.009/2005-06 के अनुसार जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वृहत्तर वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने और बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच में वृद्धि करने के उद्देश्य से बैंकों को व्यावसायिक सुविधादाता/संपर्ककर्ता मॉडल का उपयोग करते हुए वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों/स्वयं सहायता समूहों (एनजीओ/एसएचजी), व्यष्टि-वित्त संस्थानों (एमएफआई) तथा अन्य नागरिक सामाजिक संगठनों (सीएसओ) की सेवाओं को मध्यस्थ के रूप में उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई है।

## 11. दरवाजे पर (डोर स्टेप) बैंकिंग

रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए 21 फरवरी 2007 के परिपत्र सं. बैंपविवि. बीएल. बीसी. 59/22.01.010/2006-07 और 24 मई 2007 के परिपत्र सं. बैंपविवि. बीएल. बीसी. 99/22.01.010/2006-07 के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने निदेशक मंडलों की अनुमति से बैंकों को अपने ग्राहकों को (जिसमें व्यक्तिगत, कंपनी, सरकारी उपक्रम, सरकारी विभाग आदि शामिल हैं) डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधाएं देने के लिए योजनाएं बनाने की अनुमति दी गई है।

## 12. शाखाओं का स्थान बदलना

### 12.1 सामान्य

(क) शाखाओं का स्थान बदलना, शाखा विस्तार की मध्यावधि कंपनी कार्य नीति का एक हिस्सा होगा। तदनुसार, रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की अपेक्षा करनेवाले प्रस्तावों को वार्षिक शाखा विस्तार योजना में अनुबंध VI में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार शामिल किया जाना चाहिए।

(ख) तथापि बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस शाखा का स्थान बदला जा रहा है उसके ग्राहकों को शाखा का वास्तव में स्थान बदलने के पर्याप्त समय पहले सूचित किया जाता है ताकि असुविधा से बचा जा सके।

(ग) स्थान बदलने के ब्योरे (अर्थात् नया पता, स्थान बदलने की तारीख आदि) शाखा का स्थान बदलने के तुरंत बाद, और किसी भी हालत में दो सप्ताह के भीतर रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंपविवि. केंका. (महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के संबंध में) को अवश्य रिपोर्ट कर दिया जाना चाहिए।

(घ) ऐसे मामलों में लाइसेंस में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। रिज़र्व बैंक का संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंपविवि. केंका. (महाराष्ट्र और गोवा के मामले में) नए पते/स्थान को अभिलेख में ले लेने की लिखित पुष्टि कर देगा।

## 12.2 केंद्र (शहर/कस्बा/गांव) के भीतर स्थान बदलना

रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना केंद्र (शहर/कस्बे/गांव) के भीतर किसी भी स्थान पर शाखा को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता बैंकों को प्रदान की गई है। इस स्थिति के होते हुए, इन मामलों को हमारे अनुमोदन के लिए वार्षिक शाखा विस्तार योजना में शामिल नहीं करना चाहिए।

## 12.3 ग्रामीण शाखाएं

### 12.3.1 ब्लॉक के भीतर

नीतिगत आधार पर एकमात्र ग्रामीण शाखा को केंद्र/गांव से बाहर स्थान बदलने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उससे केंद्र बैंक सुविधाओं से रिक्त हो जाएगा। तथापि अप्रत्याशित/अपवादात्मक परिस्थितियों (प्राकृतिक आपदाएं, कानून और व्यवस्था की विपरीत स्थिति) के कारण यदि बैंक एकमात्र ग्रामीण शाखा का केंद्र से बाहर स्थान बदलने के लिए बाध्य हो जाता है, तब डीसीसी का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए और प्रस्तावों को हमारे विचारार्थ वार्षिक योजना में शामिल किया जाना चाहिए।

रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना बैंक ऐसे केंद्रों से अपनी ग्रामीण शाखाओं का स्थान बदल सकते हैं जहां किसी वाणिज्य बैंक की एक से अधिक शाखाएं हैं। किंतु ग्रामीण शाखाओं का स्थान बदलने पर विचार करते समय बैंकों को सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अधीन इन शाखाओं को सौंपी गयी भूमिका को ध्यान में रखना चाहिए। शाखाओं का स्थान बदलने के संबंध में निम्नलिखित न्यूनतम मानदंडों का भी पालन किया जाना चाहिए :

- (i) नया केंद्र भी वर्तमान केंद्र जितना अथवा उससे कम जनसंख्या समूह का हो, जैसे किसी ग्रामीण केंद्र में स्थित शाखा का स्थान किसी अन्य ग्रामीण केंद्र में ही बदला जा सकता है; और
- (ii) अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले जिले में स्थित शाखा का स्थान किसी अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले जिले में स्थित अन्य केंद्र में ही बदला जा सकता है।

### 12.3.2 ब्लॉक के बाहर

ऐसे केंद्रों में जहां एक से अधिक वाणिज्य बैंक शाखाएं (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा को छोड़कर) हैं, वहां ब्लॉक के बाहर शाखाओं का स्थान बदलने के अनुरोधों को वार्षिक शाखा विस्तार योजना में शामिल किया जाना चाहिए तथा ऐसे अनुरोधों पर निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर विचार किया जाएगा :

- (i) जिन शाखाओं का स्थान बदला जा रहा है वे 5 वर्ष या उससे अधिक से अस्तित्व में हों और पिछले 3 वर्षों से लगातार उन्हें हानि हो रही हो ;

(ii) ऐसे केंद्रों में स्थित शाखाएं जो कुछ प्राकृतिक जोखिमों को झेल रहे हों, जैसे जो बाढ़ प्रवण हों, लैंडस्लाइड होती हो या बांध के निर्माण के कारण डूबनेवाले हों या प्राकृतिक आपदाओं आदि से प्रभावित हों;

(iii) ऐसे स्थानों पर कार्य कर रही शाखाएं जहां कानून और व्यवस्था की समस्याएं हों या जहां आतंकवादी गतिविधियों के कारण बैंक कार्मिकों और संपत्ति को नुकसान का खतरा हो;

(iv) ऐसी शाखाएं जहां बैंक द्वारा उपयोग में लाया जा रहा परिसर जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हो या जला हुआ हो/ध्वस्त हो और उस केंद्र में कोई उपयुक्त परिसर उपलब्ध न हो आदि ।

## 12.4 महानगरीय, शहरी एवं अर्ध शहरी केंद्र

(क) बैंक महानगरीय/शहरी/अर्ध शहरी केंद्रों में केंद्र की म्युनिसिपल राजस्व सीमा अर्थात् शहर/कस्बे के भीतर रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना, अपने विवेकानुसार अपनी शाखाओं का स्थान बदल सकते हैं ।

(ख) बैंक उसी राज्य में अपनी शाखाओं (एकमात्र अर्ध-शहरी शाखाओं को छोड़कर, क्योंकि उनका स्थान बदलने से अर्ध-शहरी केंद्र बैंक सुविधा रहित हो जाएगा) का स्थान भी उपर्युक्त पैरा 12.3.1 (i) एवं (ii) में बताए अनुसार न्यूनतम मानदंडों के अधीन बदल सकते हैं ।

अतः इन मामलों को वार्षिक शाखा विस्तार में हमारे अनुमोदन के लिए शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

## 13. शाखाओं का परिवर्तन

### 13.1 विशेषीकृत शाखा का परिवर्तन

बैंक अपनी विशेषीकृत शाखा को किसी अन्य श्रेणी की विशेषीकृत शाखा या सामान्य बैंकिंग शाखा के रूप में अपने विवेकानुसार परिवर्तन कर सकते हैं । तथापि, यह सुनिश्चित किया जाए कि परिवर्तन के पश्चात् उसका ब्योरा भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंपविवि, केंका (महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के संबंध में) को तुरंत और किसी भी हालत में दो सप्ताह के भीतर सूचित किया जाता है । लाइसेंस में संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी । संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय बैंपविवि, केंका (महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के संबंध में) द्वारा शाखा के नए नाम को अभिलेख में ले लेने की पुष्टि कर दी जाएगी । ऐसे मामलों को हमारे अनुमोदन के लिए वार्षिक शाखा विस्तार योजना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

### 13.2 सामान्य बैंकिंग शाखाओं को किसी भी प्रकार की विशेषीकृत शाखा के रूप में परिवर्तन

सामान्य बैंकिंग शाखाओं को किसी भी प्रकार की विशेषीकृत शाखा के रूप में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव हमारे अनुमोदन के लिए वार्षिक शाखा विस्तार योजना में शामिल किए जाने चाहिए। ऐसे अनुरोधों की जांच मामला-दर-मामला आधार पर की जाएगी। ऐसे अनुरोधों का ब्योरा **अनुबंध VII** में प्रस्तुत किया जाए।

### 13.3 एक्सटेंशन काउंटर का पूर्ण शाखा में परिवर्तन

बैंक अपने विवेकानुसार अपने वर्तमान एक्सटेंशन काउंटर्स को पूर्ण शाखाओं के रूप में परिवर्तित करने तथा उसी केंद्र के अंतर्गत पुनः स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि बैंकों को चाहिए कि वे एक्सटेंशन काउंटर को पूर्ण शाखा में परिवर्तित करने के पहले एक्सटेंशन काउंटर का लाइसेंस जमा कर पूर्ण शाखा के लिए **पहले** अनुमति पत्र संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंपविवि. केका (महाराष्ट्र और गोवा में स्थित एक्सटेंशन काउंटर्स के लिए) से प्राप्त करें। ऐसे मामलों को हमारे अनुमोदन के लिए वार्षिक शाखा विस्तार योजना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

### 13.4 ग्रामीण शाखा का अनुषंगी कार्यालय में परिवर्तन

सामान्यतः ग्रामीण शाखा का अनुषंगी (सेटेलाइट) कार्यालय में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, अपवादात्मक मामलों में, इस पर विचार किया जा सकता है। जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) से अनुमोदन प्राप्त कर ग्रामीण शाखाओं को अनुषंगी कार्यालयों में परिवर्तन करने के प्रस्तावों को वार्षिक शाखा विस्तार योजना के साथ हमारे विचार हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

## 14. शाखाओं का विलयन

### 14.1 सामान्य

(क) बैंकों को चाहिए कि जिस शाखा का विलयन (अंतरणकर्ता शाखा) किया जाए, उसके ग्राहकों को वास्तविक विलयन से पर्याप्त समय पहले सूचित कर दिया जाए ताकि उन्हें होनेवाली असुविधा से बचा जा सके।

(ख) विलयन के ब्योरे (विलयन की तारीख आदि) रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंपविवि. केका. (महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के संबंध में) को शाखा के विलयन के तुरंत बाद और किसी भी हालत में दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

(ग) विलयन के बाद विलयित की गयी शाखा (अंतरणकर्ता शाखा) का लाइसेंस रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंपविवि. केका. (महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के संबंध में) में निरस्त करने के लिए जमा कर दिया जाना चाहिए।

### 14.2 एकमात्र ग्रामीण/अर्ध शहरी शाखा का विलयन



नीतिगत आधार पर एकमात्र ग्रामीण शाखा/अर्ध शहरी शाखा के विलयन की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि ऐसी शाखा का उस केंद्र से बाहर स्थित शाखा के साथ विलयन करने से उक्त केंद्र बैंक सुविधा रहित हो जाएगा । तथापि अपवादात्मक/अप्रत्याशित परिस्थितियों (प्राकृतिक आपेक्ष, कानून और व्यवस्था की प्रतिकूल परिस्थिति) में यदि बैंक किसी एकमात्र ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखा का विलयन करने के लिए विवश हो जाए तो जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) का अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए और प्रस्ताव वार्षिक योजना में हमारे विचारार्थ शामिल किया जाना चाहिए । ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के लिए ऐसे प्रस्तावों का ब्योरा **अनुबंध-VIII** में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार हमारे अनुमोदन के लिए हमें प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

### 14.3 महानगरीय, शहरी और अर्ध-शहरी शाखाओं का विलयन

बैंक रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त किये बिना महानगरीय, शहरी और अर्ध-शहरी केंद्रों में स्थित किसी एक शाखा का विलयन किसी अन्य शाखा (जिसे सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई हो) के साथ कर सकते हैं । अतः ऐसे मामलों को हमारे अनुमोदन के लिए वार्षिक शाखा विस्तार योजना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

## 15. शाखाएं बंद करना

### 15.1 सामान्य

(क) बैंकों को चाहिए कि जिस शाखा को बंद किया जाना है उसके ग्राहकों को शाखा बंद होने की वास्तविक तारीख से पर्याप्त समय पहले सूचित कर दिया जाए ताकि उन्हें होनेवाली असुविधा से बचा जा सके ।

(ख) शाखा बंद करने के ब्योरे (अर्थात् तारीख आदि) रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंपविवि. केंका. (महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के संबंध में) को शाखा बंद होने के दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट किया जाना चाहिए ।

(ग) शाखा बंद होने के बाद, शाखा का लाइसेंस रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंपविवि. केंका. (महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के संबंध में) को निरस्त करने के लिए जमा किया जाना चाहिए ।

### 15.2 ग्रामीण शाखाएं बंद करना

नीतिगत आधार पर एक मात्र वाणिज्य बैंक शाखा वाले (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) ग्रामीण केंद्रों में हानि उठानेवाली शाखाओं को भी बंद करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इससे वह केंद्र बैंकिंग सुविधाओं से रिक्त रह जाएगा । जिस स्थान पर एक वाणिज्य बैंक शाखा से अधिक शाखाओं द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है वहां शाखा को बंद

करने का प्रस्ताव जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वार्षिक शाखा विस्तार योजना में शामिल किया जाना चाहिए। यह अपेक्षित है कि ऐसे प्रस्तावों का ब्योरा **अनुबंध IX** में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार हमारे अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

### **15.3 महानगरीय, शहरी और अर्ध शहरी शाखाएं**

बैंकों को रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना महानगरीय, शहरी और अर्ध शहरी केंद्र में किसी भी शाखा को (जिसे सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई हो), बंद करने की अनुमति है। अतः ऐसे प्रस्तावों को हमारे अनुमोदन के लिए वार्षिक शाखा विस्तार योजना में शामिल नहीं करना चाहिए।

### **III. विविध पहलू**

#### **16. परिसरों का अधिग्रहण - शाखाएं खोलना**

शाखाएं खोलने के लिए परिसर अधिगृहीत करते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शाखा के स्थान के संबंध में नगर निगम/नगरपालिका/शहरी क्षेत्र प्राधिकरण/ग्राम पंचायत अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण के स्थानीय मानदंडों/कानूनों का पालन किया जाता है।

#### **17. केंद्रों का जनसंख्या समूह-वार वर्गीकरण**

किसी केंद्र (शहर/कस्बा/गांव) का सही वर्गीकरण जैसे, ग्रामीण, अर्ध शहरी, शहरी या महानगरीय के रूप में करने के प्रयोजन के लिए बैंक को चाहिए कि राजस्व केंद्र के सही नाम का उल्लेख करे और केवल इलाके का उल्लेख न करे। इस प्रयोजन के लिए वर्गीकरण खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, तहसीलदार/नगरपालिका या नगर निगम के कार्यालय/जिलाधीश या जिला जनगणना प्राधिकारी के कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा बैंक अपनी वार्षिक योजना प्रस्तावों के साथ बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय से संपर्क करने से पहले केंद्र के जनसंख्या समूहवार वर्गीकरण को सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग, सी-8/9, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051 से भी सुनिश्चित कर सकते हैं।

#### **18. भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचना देना**

*(क) क्षेत्रीय कार्यालयों/बैंपविवि., केंका. को सूचना देना*

बैंकों को चाहिए कि वे के किसी नये स्थान पर कारोबार खोलने, उसे बंद करने, विलयन करने, कारोबार के किसी वर्तमान स्थान की जगह बदलने या परिवर्तन के ब्योरे भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को तुरंत और किसी भी हालत में शाखा खोलने /बंद करने /विलयन /स्थान बदलने आदि के दो सप्ताह के भीतर सूचित करें, जबकि महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के

संबंध में इसकी सूचना बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को दी जानी चाहिए ।

बैंकों द्वारा कॉल सेंटर्स को खोलने, बंद करने और स्थान बदलने के ब्योरे भी भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंपविवि. कें.का. (महाराष्ट्र और गोवा के कॉल सेंटर्स के संबंध में) को सूचित किये जाने चाहिए ।

### *(ख) शाखा बैंकिंग सांख्यिकी*

बैंकों को चाहिए कि वे हर तिमाही के बाद चौदह दिन के भीतर शाखाओं को खोलने, बंद करने, स्थान बदलने और परिवर्तन के संबंध में सूचना प्रोफार्मा I और II में **(अनुबंध - X)** सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग (बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग) तथा रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंपविवि. कें.का. को प्रस्तुत करें । इसके अलावा, प्राधिकृत व्यापारी (एडी) शाखाओं के संबंध में सूचना निरंतर आधार पर प्रस्तुत की जानी चाहिए । सूचना देने के लिए कुछ न होने की स्थिति में 'कुछ नहीं' विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

## **19. विदेशी बैंक**

भारतीय बैंकों की शाखा प्राधिकरण नीति विदेशी बैंकों पर भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होगी :

- विदेशी बैंकों से अपेक्षित है कि वे भारत में पहली शाखा खोलने के समय 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नियत पूंजी लायें ।
- केवल एक शाखा वाले वर्तमान विदेशी बैंकों को दूसरी शाखा खोलने के अनुरोध पर विचार करने से पहले उपर्युक्त अपेक्षा का पालन करना होगा ।
- विदेशी बैंकों को अपनी शाखा विस्तार योजना वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करनी होगी ।
- भारतीय बैंकों के लिए निर्धारित मापदंडों के अलावा विदेशी बैंकों के लिए निम्नलिखित पर भी विचार किया जाएगा ;
  - विदेशी बैंक के और उसके समूह के वैश्विक बाजारों में अनुपालन और कार्य प्रणाली के पिछले रिकार्ड पर विचार किया जाएगा । जहां कहीं जरूरी होगा वहां उनके देश के पर्यवेक्षकों से सूचना मांगी जाएगी ।
  - भारत में उपस्थिति वाले विदेशी बैंकों के अपने देशों में समान वितरण को महत्व दिया जाएगा ।
  - आवेदक विदेशी बैंक के अपने देश में भारतीय बैंकों के प्रति किये जानेवाले व्यवहार पर विचार किया जाएगा ।
  - भारत और उनके अपने देश के बीच द्विपक्षीय और राजनयिक संबंधों पर पर्याप्त विचार किया जाएगा ।

- o विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) में भारत की प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए विदेशी बैंकों के शाखा विस्तार पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार की गणना के लिए शाखाओं की संख्या में एटीएम को शामिल नहीं किया जाएगा।

तदनुसार, विदेशी बैंकों को बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, **केंद्रीय कार्यालय भवन (12वीं मंज़िल), शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400 001** को अपनी वार्षिक शाखा विस्तार योजना प्रस्तुत करनी चाहिए।

## अनुबंध - I

### वार्षिक शाखा विस्तार योजना

#### (फॉर्म VI)

**बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अंतर्गत कारोबार का नया स्थान खोलने अथवा कारोबार के वर्तमान स्थान को बदलने (उसी शहर, कस्बे या गाँव को छोड़कर अन्य स्थान पर) की अनुमति के लिए आवेदन पत्र - बैंककारी विनियमन (कंपनी) नियमावली, 1949, नियम 12 फार्म VI**

पता .....

दिनांक .....

.....

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग,

भारतीय रिज़र्व बैंक,

.....

प्रिय महोदय,

हम इसके द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अनुसार \* कारोबार का नया स्थान खोलने /कारोबार के .....स्थित वर्तमान स्थान को .....से बदलकर .....करने की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं। हम आवश्यक सूचना इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट फार्म में नीचे दे रहे हैं।

भवदीय

हस्ताक्षर .....

1. बैंकिंग कंपनी का नाम :
2. प्रस्तावित कार्यालय :  
(निम्नलिखित जानकारी दें)  
(क) शहर / कस्बे/ गांव का नाम  
(यदि स्थान के एक से अधिक नाम हों, तो संबंधित जानकारी भी प्रस्तुत की जानी चाहिए)  
(ख) मुहल्ले /स्थान का नाम  
(ग) (i) प्रखंड (ब्लॉक)  
(ii) तहसील/तालुका :  
(iii) जिला :  
(iv) राज्य का नाम :  
(घ) प्रस्तावित कार्यालय का स्तर (स्टेटस) :  
(ङ) प्रस्तावित कार्यालय तथा वाणिज्य बैंक के निकटतम वर्तमान कार्यालय के बीच की दूरी, बैंक एवं केन्द्र /मुहल्ले के नाम सहित :  
@ (च) 5 कि. मी. के घेरे में कार्यरत वाणिज्य बैंकों के नाम और उनके कार्यालयों की संख्या, उन केंद्रों के नाम के साथ जिनमें वे कार्यरत हों :
3. पिछला आवेदन :  
(यदि प्रस्तावित कारोबारी स्थान के संबंध में रिजर्व बैंक को पहले कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया हो तो उसके ब्यौरे दें)
4. प्रस्तावित कार्यालय खोलने के लिए कारण :  
(प्रस्तावित कार्यालय के लिए ब्यौरेवार कारण बतायें तथा निम्नानुसार सांख्यिकी एवं अन्य आंकड़े प्रस्तुत करें, जिनका संकलन प्रस्तावित कार्यालय के लिए किया गया हो)  
(i) स्थान की जनसंख्या :

@(ii) प्रस्तावित कार्यालय के कमान क्षेत्र (अर्थात् परिचालन के क्षेत्र) के विवरण :

(क) कमान क्षेत्र की अनुमानित त्रिज्या (रेडियस):

(ख) जनसंख्या :

(ग) कमान क्षेत्र में गांवों की संख्या :

(iii) निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तावित कार्यालय के परिचालन क्षेत्र में कृषि खनिज और औद्योगिक उत्पादन की तथा आयातों और निर्यातों की मात्रा और मूल्य :

पण्य का नाम	उत्पादन		आयात		निर्यात	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(iv) यदि कृषि खनिज अथवा औद्योगिक विकास के लिए योजनाएं हों तो उनके ब्यौरे दें तथा वर्तमान उत्पादन, आयातों और निर्यातों की मात्रा और मूल्य पर उनके संभावित प्रभावों का उल्लेख करें :

(v) यदि मौजूदा बैंकिंग सुविधाएं अपर्याप्त समझी जायें, तो उसके कारण बतायें :

(vi) संभावनाएं : प्रस्तावित कारोबार के स्थान में 12 महीने के भीतर बैंकिंग कंपनी द्वारा किये जानेवाले न्यूनतम कारोबार की अनुमानित मात्रा निम्नानुसार दर्शाएं :

(क) जमाराशियां : राशि हजार रुपयों में

(ख) अग्रिम : राशि हजार रुपयों में

5. वर्तमान कार्यालय की स्थिति में परिवर्तन (उस कार्यालय की सही स्थिति बताएं, जिसे बंद करने का प्रस्ताव है तथा मद 2, 3 और 4 के अनुसार नये स्थान के ब्यौरे देते हुए उस स्थान की सही स्थिति बताएं जहां इस कार्यालय को स्थानांतरित करने का

प्रस्ताव है)

## 6. व्यय :

(प्रस्तावित कार्यालय के संबंध में स्टाफ, परिसर, फर्नीचर, स्टेशनरी, विज्ञापन आदि पर पहले किये जा चुके अथवा प्रस्तावित व्यय की मात्रा । साथ ही, यह भी उल्लेख करें कि 12 महीनों में प्रस्तावित कार्यालय में बैंकिंग कंपनी को न्यूनतम कितनी आय होने की आशा है)

अनुमानित वार्षिक आय :		* अनुमानित वार्षिक व्यय	
क) अग्रिमों पर ब्याज	रु.	क) स्थापना प्रभार	रु.
ख) कमीशन	रु.	ख) स्टेशनरी और विविध	रु.
ग) विनिमय	रु.	ग) किराया और भवन	रु.
घ) प्रधान कार्यालय को दी गयी उधार निधियों पर ब्याज	रु.	घ) जमाराशियों पर अदा किया जानेवाला व्यय	रु.
कुल	रु.	ङ) प्रधान कार्यालय से उधार ली गयी रु. . . . . . की निधियों पर ब्याज @ .....%	रु..
अनुमानित लाभ	रु.	जोड़	रु.

## 7. अन्य विवरण :

(कोई अन्य अतिरिक्त तथ्य, जिसे बैंकिंग कंपनी अपने आवेदन के समर्थन में बताना चाहे)

\* जो भाग लागू न हो उसे काट दें ।

@ यह जानकारी उन्हीं केंद्रों के आवेदन के मामले में प्रस्तुत की जानी है जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम हो ।

**नोट :** 1. 'कार्यालय' और 'कार्यालयों' शब्द इस फार्म में जहां कहीं भी आ रहे हैं, उनमें कारोबार का/को वह स्थान शामिल है/हैं जहां जमाराशि स्वीकार की जाती है, चेकों का भुनाया जाता है, धन उधार दिया जाता है या उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) में उल्लिखित कारोबार किसी अन्य रूप में किया जाता है ।

2. यदि आवेदन कारोबार के वर्तमान स्थान को बदलने के लिए है तो मद (5) का उत्तर दिया जाना चाहिए ।

3. यदि कोई बैंकिंग कंपनी किसी मद के संदर्भ में पूरे ब्यौरे देने में असमर्थ या अनिच्छुक है तो इस छूट के कारण दिये जायें ।

4. मद (2), (3), (4), (5) और (6) में पूछी गयी जानकारी उस स्थिति में प्रत्येक कार्यालय के बारे में अलग-अलग दी जाये जहां जहां आवेदन एक से अधिक कार्यालय खोलने या स्थान परिवर्तन के लिए हो ।

5. 'प्रशासनिक कार्यालय' के स्थान के परिवर्तन के मामले में जहां किसी बैंकिंग कारोबार का लेनदेन नहीं किया जाता है या किया जाना प्रस्तावित नहीं है (जैसे 'पंजीकृत कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय या प्रधान कार्यालय') वहां पत्र के रूप में केवल एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसमें परिवर्तन के लिए कारणों का उल्लेख किया गया हो ।

## अनुबंध II

### वार्षिक शाखा विस्तार योजना

**बैंक का नाम :**

#### खोलने के लिए प्रस्तावित शाखाओं का संक्षिप्त विवरण

क्रम सं.	केंद्र/स्थान	जिला	राज्य	शाखा की श्रेणी (सामान्य/विशेष)	केंद्र की जनसंख्या	जनसंख्या समूह-वार वर्गीकरण	कम बैंक सुविधा वाला या अन्य

\* केंद्र (शहर/कस्बा/गांव) का नाम (जैसे - मुंबई, बेंगलूर, नासिक) दिया जाना चाहिए, केवल इलाके का नहीं । यदि एक केंद्र में एक से अधिक शाखाएं प्रस्तावित हैं, तो इलाके का उल्लेख किया जाए, जैसे - मुंबई-फोर्ट, मुंबई-बांद्रा आदि ।

ध्यान दें : यह अपेक्षित है कि शाखाओं का यह संक्षिप्त विवरण द्विभाषिक फार्मेट (हिंदी और अंग्रेजी) में "आकृति ऑफिस प्रिया एक्सपैन्ड" फॉट में उसकी सॉफ्ट कॉपी सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।



### अनुबंध III

#### वार्षिक शाखा विस्तार योजना

बैंक का नाम :

#### खोलने के लिए प्रस्तावित गैर-शाखा/ऑफ साइट एटीएम का संक्षिप्त विवरण

क्रम सं.	केंद्र/स्थान	जिला	राज्य	केंद्र की जनसंख्या	जनसंख्या समूह-वार वर्गीकरण	कम बैंक सुविधा वाला या अन्य

\* केंद्र (शहर/कस्बा/गांव) का नाम (जैसे - मुंबई, बेंगलूर, नासिक) दिया जाना चाहिए, इलाके का नहीं। यदि एक केंद्र में एक से अधिक शाखाएं प्रस्तावित हैं, तो इलाके का उल्लेख किया जाए, जैसे - मुंबई-फोर्ट, मुंबई-बांद्रा आदि।

ध्यान दें : यह अपेक्षित है कि शाखाओं का यह संक्षिप्त विवरण द्विभाषिक फार्मेट (हिंदी और अंग्रेजी) में "आकृति ऑफिस प्रिया एक्सपैंड" फॉन्ट में उसकी सॉफ्ट कॉपी सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अनुबंध IV (क)

वार्षिक शाखा विस्तार योजना

बैंक का नाम :

- (i) 'अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले' जिलों में विद्यमान शाखाओं की राज्य-वार, जनसंख्या समूह-वार संख्या

(----- को स्थिति)

क्रम सं.	राज्य	शाखाओं की संख्या					कुल शाखाओं में से ग्रामीण शाखाओं का प्रतिशत
		ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	

- (ii) 'अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले जिलों को छोड़कर अन्य' जिलों में विद्यमान शाखाओ की राज्य-वार, जनसंख्या-वार संख्या

(----- को स्थिति)

क्रम सं.	राज्य	शाखाओं की संख्या					कुल शाखाओं में से ग्रामीण शाखाओं का प्रतिशत
		ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	

- (iii) बैंक की विद्यमान जनसंख्या श्रेणी-वार शाखाएं

(अखिल भारतीय सार स्थिति)

(----- को स्थिति)

ग्रामीण		अर्ध-शहरी		शहरी		महानगरीय		कुल
शाखाओं की संख्या	कुल में से प्रतिशत	शाखाओं की संख्या	कुल में से प्रतिशत	शाखाओं की संख्या	कुल में से प्रतिशत	शाखाओं की संख्या	कुल में से प्रतिशत	शाखाओं की संख्या
अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले जिले :								
अपर्याप्त बैंकिंग वालों को छोड़कर अन्य जिले :								
कुल जोड़ :								

#### अनुबंध IV (ख)

#### वार्षिक शाखा विस्तार योजना

बैंक का नाम :

(i) विद्यमान एटीएम की राज्य-वार, जनसंख्या समूह-वार संख्या

‘अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले’ जिले

(----- को स्थिति)

क्रम सं.	राज्य	ऑन-साइट एटीएम की संख्या					ऑफ-साइट एटीएम की संख्या					कुल जोड़
		ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	

(ii) विद्यमान एटीएम की राज्य-वार, जनसंख्या समूह-वार संख्या

‘अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले जिलों को छोड़कर अन्य’ जिले

(----- को स्थिति)

क्रम सं.	राज्य	ऑन-साइट एटीएम की संख्या					ऑफ-साइट एटीएम की संख्या					कुल जोड़
		ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	

(iii) बैंक के विद्यमान ऑफ-साइट एटीएम की संख्या :

(अखिल भारतीय सार स्थिति)

(----- को स्थिति)

ग्रामीण		अर्ध-शहरी		शहरी		महानगरीय		कुल
एटीएम की संख्या	कुल में से प्रतिशत	एटीएम की संख्या	कुल में से प्रतिशत	एटीएम की संख्या	कुल में से प्रतिशत	एटीएम की संख्या	कुल में से प्रतिशत	एटीएम की संख्या
अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले जिले :								
अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले जिलों को छोड़कर अन्य जिले								
कुल जोड़ :								

**अनुबंध IV (ग)**

**वार्षिक शाखा विस्तार योजना**

**बैंक का नाम :**

**(i) विद्यमान एक्सटेंशन काउंटर्स की राज्य-वार, जनसंख्या समूह-वार संख्या**

(----- को स्थिति)

क्र. सं.	राज्य	विद्यमान एक्सटेंशन काउंटर्स की संख्या					टिप्पणी
		ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	

**(ii) वर्ष के दौरान पूर्ण शाखाओं के रूप में उन्नयन किए गए एक्सटेंशन काउंटर्स की राज्य-वार, जनसंख्या समूह-वार संख्या**

(----- को स्थिति)

क्र. सं.	राज्य	पूर्ण शाखाओं के रूप में उन्नयन किए गए एक्सटेंशन काउंटर्स की संख्या					टिप्पणी
		ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	

## अनुबंध IV (घ)

### वार्षिक शाखा विस्तार योजना

बैंक का नाम : -----

#### वार्षिक शाखा विस्तार योजना के साथ प्रस्तुत की जानेवाली सूचना

- 1) बैंक के शाखा विस्तार कार्यक्रम हेतु मध्यावधि नीति :  
शाखाओं और एटीएम सहित बैंक 3 वर्ष के लिए अपने शाखा विस्तार हेतु प्रस्तावित मध्यावधि नीति के बारे में ब्यौरे दें
  - 2) अगले 3 वर्षों में कारोबार का अपेक्षित स्तर
    - क. जमाराशियां
    - ख. अग्रिम
  - 3) अगले 3 वर्षों में अपेक्षित ग्राहक आधार
  - 4) तकनीकी कार्यान्वयन :
    - क. पूर्णतः कंप्यूटरीकृत शाखाओं की संख्या
    - ख. नेटवर्क कनेक्टिविटी से युक्त शाखाओं की संख्या
    - ग. कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) से युक्त शाखाओं की संख्या
- वर्तमान तकनीकी संरचना, प्रारंभ की गयी विविध तकनीकी पहल और मध्यावधि में अपने कारोबार के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित तकनीकी संवृद्धि/उन्नयन के संबंध में बैंक संक्षेप में एक विवरण भी प्रस्तुत करें ।
- 5) वित्तीय समावेशन को बढ़ाने हेतु उपाय :  
ग्राहकों द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम शेष के विविध स्तर/स्लैब तथा इन स्तरों/स्लैबों से जुड़ी बैंक द्वारा दी जानेवाली संबंधित सेवाओं के बारे में बैंक ब्योरे दें ।
  - 6) दिये जानेवाले उत्पादों तथा सेवाओं के प्रभारों की अनुसूची:  
बैंक अपने ग्राहकों को दिये जानेवाले विविध उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्रभारों की अनुसूची भेजें । विभिन्न खाते खोलने के लिए अपेक्षित न्यूनतम शेष, न्यूनतम शेष न रखने के लिए प्रभार आदि ।
  - 7) यह सुनिश्चित करने के लिए कि शाखा नेटवर्क विस्तार के कारण ग्राहक सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा, बैंक द्वारा उठाये जानेवाले कदम ।
  - 8) बैंक द्वारा पिछले दो वर्षों में प्राप्त की गई शिकायतों की संख्या

क्रम सं.	वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	लंबित

9) प्रस्तावित शाखा विस्तार के कारण बढ़ने वाले कारोबार से उत्पन्न होनेवाली समस्याओं पर ध्यान देने के लिए बैंक द्वारा प्रस्तावित उपाय -

- आंतरिक नियंत्रण और लेखा-परीक्षा
- आंतरिक प्रबंधन और मिलान
- परिचालन जोखिम से संबंधित अन्य क्षेत्र
- मानव संसाधन संबंधी मसले

10) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों के संबंध में स्थिति बैंकों द्वारा क्षेत्रवार सूचना दी जाए ।

11) ऋण जमा अनुपात के संबंध में ब्योरे :  
(..... को स्थिति)

(राशि करोड़ रुपयों में)

मर्दे	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
जमाराशियां					
अग्रिम					
ऋण जमा अनुपात					
प्रति शाखा जमाराशियां					
प्रति शाखा अग्रिम					

12) बैंकिंग समूह के कार्यकलाप तथा बैंक की अपनी सहायक, संबद्ध और सहयोगी संस्थाओं के साथ संबंध का स्वरूप ।

13) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी की गई थी और क्या कोई अर्थ-दंड बैंक पर लगाया गया था ? यदि हां, तो उसका ब्योरा दें ।

14) पिछले एक वर्ष के दौरान बैंक द्वारा खोली गई शाखाओं की सूची

क्र. सं.	बैंपविवि का संदर्भ संख्या और तारीख	अनुबंध में अनुक्रमांक	केंद्र	जिला	राज्य	शाखा खोलने की तारीख

15) शाखाएं खोलने के लिए बैंक के पास **लंबित** प्राधिकरणों की सूची ।

क्र. सं.	बैंपविवि का संदर्भ संख्या और तारीख	अनुबंध में अनुक्रमांक	केंद्र	जिला	राज्य	टिप्पणी

16) ऑफ-साइट एटीएमों के परिचालन के लिए बैंक के पास **लंबित** प्राधिकरणों की संख्या ।

17) अन्य कोई सूचना, यदि बैंक देना चाहे ।

## अनुबंध V

### अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले जिलों की सूची (2001 की जनगणना के आधार पर)

	<b>आंध्र प्रदेश</b>		<b>असम</b>	
1.	आदिलाबाद	11	जोरहट	
2.	अनंतपुर	12	कार्बी आंगलांग	
3.	कड़पा	13	करीमगंज	
4.	करीमनगर	14	कोकराझार	
5.	खम्मम	15	लखीमपुर	
6.	कुर्नूल	16	मोरीगांव	
7.	महबूबनगर	17	नगांव	
8.	मेदक	18	नलबरी	
9.	नालगोंडा	19	शिवसागर	
10.	रंगारेड्डी	20	सोनीतपुर	
11.	श्रीकाकुलम	21	तिनसुकिया	
12.	विजयनगरम			
13.	वरंगल		<b>बिहार</b>	
		1.	अररिया	
	<b>अरुणाचल प्रदेश</b>	2.	औरंगाबाद	
1.	चुंगलांग	3.	बांका	
2.	दिबांग वैली	4.	बेगुसराय	
3.	ईस्ट कामेंग	5.	भागलपुर	
4.	लोहित	6.	भोजपुर	
5.	लोअर सुबन सिरी	7.	बक्सर	
6.	तिरप	8.	दरभंगा	
7.	अप्पर सिआंग	9.	गया	
8.	अप्पर सुबनसिरी	10.	गोपालगंज	
		11.	जमुइ	
	<b>असम</b>	12.	जेहानाबाद	
1	बारपेटा	13.	कैमुर	
2	बोंगाईगांव	14.	कटिहार	
3	कचार	15.	खगड़िया	
4	दरांग	16.	किशनगंज	
5	धेमाजी	17.	लखिसराय	
6	धुबरी	18.	मधेपुरा	
7	डिब्रूगढ़	19.	मधुबनी	
8	गोलपाड़ा	20.	मुंगेर	
9	गोलाघाट	21.	मुजफ्फरपुर	
10	हैलाकांडी	22.	नालंदा	



	<b>बिहार</b>		<b>गुजरात</b>	
23.	नवादा	4.	दाहोद	
24.	पश्चिमी चंपारण	5.	जूनागढ़	
25.	पूर्वी चंपारण	6.	नर्मदा	
26.	पूर्णिया	7.	पंच महल	
27.	रोहतास	8.	पाटण	
28.	सहरसा	9.	साबर कांठा	
29.	समस्तीपुर	10.	सूरत	
30.	सारण	11.	सुरेंद्रनगर	
31.	शेखपुरा	12.	डानस	
32.	शिवहर			
33.	सीतामढ़ी		<b>हरियाणा</b>	
34.	सीवान	1.	फतेहबाद	
35.	सुपौल	2.	झज्जर	
36.	वैशाली	3.	जिंद	
		4.	कैथल	
	<b>छत्तीसगढ़</b>	5.	महेंद्रगढ़	
1.	बस्तर			
2.	बिलासपुर		<b>जम्मू और कश्मीर</b>	
3.	दांतेवाड़ा	1.	अनंतनाग	
4.	धमतरी	2.	डोडा	
5.	दुर्ग	3.	कुपवाड़ा	
6.	जॉजगीर-चंपा	4.	पुंछ	
7.	जशपुर			
8.	कंकेर		<b>झारखंड</b>	
9.	कवर्धा	1.	बोकारो	
10.	कोरबा	2.	चतरा	
11.	कोरिया	3.	देवघर	
12.	महासमुंद	4.	धनबाद	
13.	रायगढ़	5.	दुमका	
14.	रायपुर	6.	गढ़वा	
15.	राजनंदगांव	7.	गिरिडीह	
16.	सरगुजा	8.	गोड्डा	
		9.	गुमला	
	<b>दादरा और नगर हवेली</b>	10.	हजारीबाग	
1.	दादरा और नगर हवेली	11.	कोडरमा	
	<b>गुजरात</b>	12.	लोहरदगा	
1.	अमरेली	13.	पाकुड़	
2.	बनास कांठा	14.	पलामू	
3.	भावनगर	15.	पश्चिमी सिंहभूम	

	<b>झारखंड</b>		<b>मध्य प्रदेश</b>	
16.	साहेबगंज	26.	रतलाम	
		27.	रीवा	
	<b>कर्नाटक</b>	28.	सागर	
1.	बेंगलूर रूरल	29.	सतना	
2.	बीदर	30.	सीहोर	
3.	चामराजनगर	31.	सिवनी	
4.	गुलबर्गा	32.	शहडोल	
5.	कोप्पल	33.	शाजापुर	
6.	रायचूर	34.	श्योपुर	
		35.	शिवपुरी	
	<b>केरला</b>	36.	सीधी	
1.	मालापुरम	37.	टीकमगढ़	
		38.	उज्जैन	
	<b>मध्य प्रदेश</b>	39.	उमरिया	
1.	बालाघाट	40.	विदिशा	
2.	बड़वानी	41.	पश्चिमी निमाड़	
3.	बैतूल			
4.	भिंड		<b>महाराष्ट्र</b>	
5.	छत्तरपुर	1	अहमदनगर	
6.	छिंदवाड़ा	2	अकोला	
7.	दमोह	3	अमरावती	
8.	दतिया	4	औरंगाबाद	
9.	देवास	5	भंडारा	
10.	धार	6	बीड़	
11.	डिंडोरी	7	बुलढाणा	
12.	पूर्वी निमाड़	8	धुले	
13.	गुना	9.	गडचिरोली	
14.	हरदा	10	गोंडिया	
15.	होशंगाबाद	11	हिंगोली	
16.	झाबुआ	12	जलगांव	
17.	कटनी	13.	जालना	
18.	मंडला	14.	कोल्हापुर	
19.	मंदसौर	15	लातूर	
20.	मुरैना	16	नांदेड	
21.	नरसिंहपुर	17	नंदुरबार	
22.	नीमच	18	नासिक	
23.	पन्ना	19	उस्मानाबाद	
24.	रायसेन	20	परभणी	
25.	राजगढ़	21	सातारा	

	<b>महाराष्ट्र</b>		<b>उड़ीसा</b>	
22	सोलापुर	5	भद्रक	
23	ठाणे	6	बौध	
24	वर्धा	7	धेनकनाल	
25	वाशिम	8	गजपति	
26	यवतमाल	9	गंजम	
		10	जाजपुर	
	<b>मणिपुर</b>	11	कालाहांडी	
1.	विष्णुपुर	12	कंधमल	
2.	चंदेल	13	केंद्रपाडा	
3.	चुराचंदपुर	14	क्योझर	
4.	इम्फाल ईस्ट	15	कोरापुट	
5.	इम्फाल वेस्ट	16	मलकानगिरी	
6.	तामंगलाँग	17	मयूरभंज	
7.	थौबाल	18	नवरंगपुर	
8.	उखरुल	19	नयागढ़	
		20	नवापाड़ा	
	<b>मेघालय</b>	21	पुरी	
1	ईस्ट गारो हिल्स	22	रायगढ़	
2	साऊथ गारो हिल्स	23.	सोनपुर	
3	वेस्ट गारो हिल्स	24.	सुंदरगढ़	
	<b>मिज़ोरम</b>		<b>पांडिचेरी</b>	
1	लावांगटलाई	1	यानम	
2	सैहा			
	<b>नगालैंड</b>		<b>पंजाब</b>	
1	दीमापुर	1.	मनसा	
2	कोहिमा			
3.	मोकोकचुंग		<b>राजस्थान</b>	
4.	मॉन	1	अलवर	
5.	फेक	2	बांसवाड़ा	
6.	ट्युएनसंग	3	बारन	
7.	वोखा	4	बाड़मेर	
8.	जुन्हेबोटो	5	भरतपुर	
		6	भीलवाड़ा	
	<b>उड़ीसा</b>	7	बूंदी	
1	अंगुल	8	चित्तौड़गढ़	
2	बालंगीर	9	चुरू	
3	बालेश्वर	10	दौसा	
4	बारगढ़	11	धौलपुर	

	राजस्थान		उत्तर प्रदेश	
12	डुंगरपुर	1	आगरा	
13	हनुमानगढ़	2	अलीगढ़	
14	जालौर	3	इलाहाबाद	
15	झालावाड़	4	आंबेडकर नगर	
16	झुंझनू	5	ओराइया	
17	जोधपुर	6	आजमगढ़	
18	करौली	7	बागपत	
19	नागौर	8	बहराइच	
20	पाली	9	बलिया	
21	राजसमंद	10	बलरामपुर	
22	सवाई माधोपुर	11	बांदा	
23	सीकर	12	बाराबंकी	
24	टोंक	13	बरेली	
25	उदयपुर	14	बस्ती	
		15	बिजनौर	
	<b>सिक्किम</b>	16	बदायूं	
1	पश्चिमी सिक्किम	17	बुलंदशहर	
		18	चंदौली	
	<b>तमिलनाडु</b>	19	चित्रकूट	
1	कुडलूर	20	देवरिया	
2	धरमपुरी	21	एटा	
3	कांचीपुरम	22	इटावा	
4.	नागपट्टिनम	23	फैजाबाद	
5.	पेरांबलूर	24	फर्रुखाबाद	
6.	पुदुकोट्टै	25	फतेहपुर	
7.	रामनाथपुरम्	26	फिरोजाबाद	
8.	सेलम	27	गाजीपुर	
9.	तिरुवल्लूर	28	गोंडा	
10.	तिरुवरूर	29	गोरखपुर	
11.	तिरुवन्नामलै	30	हमीरपुर	
12.	वेल्लूर	31	हरदोई	
13.	विल्लुपुरम	32	हाथरस	
		33	जालौन	
	<b>त्रिपुरा</b>	34	जौनपुर	
1	ढलाई	35	झांसी	
2	उत्तर त्रिपुरा	36	ज्योतिबा फुले नगर	
3	दक्षिण त्रिपुरा	37	कनौज	
4	पश्चिम त्रिपुरा	38	कौशांबी	
		39	खीरी	
		40	कुशी नगर	

	उत्तर प्रदेश		पश्चिम बंगाल	
41	ललितपुर	1	बांकुरा	
42	महाराजगंज	2	बर्धमान	
43	महोबा	3	बीरभूम	
44	मैनपुरी	4	दक्षिण दिनाजपुर	
45	मथुरा	5	हावड़ा	
46	मऊ	6	हुगली	
47	मिर्जापुर	7	जलपाइगुड़ी	
48	मुरादाबाद	8	कूच बिहार	
49	मुजफ्फर नगर	9	मालदा	
50	पीलीभीत	10	मेदिनीपुर	
51	प्रतापगढ़	11	मुर्शिदाबाद	
52	राय बरेली	12	नदिया	
53	रामपुर	13	उत्तरी 24 परगना	
54	सहारनपुर	14	पुरुलिया	
55	संत कबीर नगर	15	दक्षिणी 24 परगना	
56	संत रविदास नगर	16	उत्तर दिनाजपुर	
57	शाहजहाँपुर			
58	श्रावस्ती			
59	सिद्धार्थनगर			
60	सीतापुर			
61	सोनभद्रा			
62	सुल्तानपुर			
63	उन्नाव			

## अनुबंध VI

### वार्षिक शाखा विस्तार योजना

बैंक का नाम :

शाखाओं का स्थान एक केंद्र से दूसरे केंद्र में (ब्लॉक से बाहर) बदलने का प्रस्ताव

क्रम सं.	शाखा का नाम (केंद्र/स्थान)	जिला	राज्य	केंद्र में अन्य बैंक की शाखा का नाम	किस स्थान पर बदलना प्रस्तावित है (केंद्र का नाम)	दोनों केंद्रों के बीच की दूरी	शाखा कितने वर्ष से हानि उठा रही है	स्थान बदलने के लिए कारण	क्या जि.प. स.(डीसीसी) का अनुमोदन प्राप्त है	टिप्पणी

## अनुबंध VII

### वार्षिक शाखा विस्तार योजना

बैंक का नाम :

सामान्य शाखाओं के विशेषीकृत शाखाओं में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव

क्रम सं.	सामान्य शाखा का नाम जिसका परिवर्तन करना है (केंद्र/स्थान)	शाखा की जनसंख्या श्रेणी	जिला	राज्य	विशेषीकृत शाखा की प्रस्तावित श्रेणी	परिवर्तन के लिए कारण	परिवर्तन के बाद मौजूदा ग्राहकों को सेवा कैसे प्रदान की जाएगी	टिप्पणी

**अनुबंध VIII**  
**वार्षिक शाखा विस्तार योजना**

**बैंक का नाम :**

**शाखाओं के विलयन के लिए प्रस्ताव**

क्रम सं.	शाखा का नाम (केंद्र/स्थान)	शाखा की जनसंख्या श्रेणी	जिला	राज्य	केंद्र में अन्य बैंक की शाखा का नाम	किस शाखा के साथ विलयन प्रस्तावित है (शाखा का नाम)	दोनों शाखाओं के बीच की दूरी	विलयन के लिए कारण	क्या जि.प. स.(डीसीसी) का अनुमोदन प्राप्त है	टिप्पणी

\* सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत जिम्मेदारी सौंपी गई अर्ध-शहरी शाखाओं के लिए भी जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) का अनुमोदन अपेक्षित है ।



## अनुबंध IX

### वार्षिक शाखा विस्तार योजना

बैंक का नाम :

#### शाखाएं बंद करने के लिए प्रस्ताव

क्रम सं.	बंद की जानेवाली शाखा (केंद्र/स्थान)	शाखा की जनसंख्या श्रेणी	जिला	राज्य	केंद्र में अन्य बैंक की शाखा का नाम	बंद करने के लिए कारण	क्या जहां अपेक्षित है वहां जि.प. स.(डीसीसी) का अनुमोदन प्राप्त है	टिप्पणी

\* सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत जिम्मेदारी सौंपी गई अर्ध-शहरी शाखाओं के लिए भी जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है ।

**अनुबंध X**  
**वार्षिक शाखा विस्तार योजना**

**प्रोफार्मा - I**

खोली गयी नयी शाखा /कार्यालय/ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है (एनएआईओ) का  
विवरण :

(कृपया प्रोफार्मा I तथा II भरने से पूर्व अनुदेश पढ़ें)

**मदें**

1. (क) वाणिज्य बैंक /अन्य वित्तीय संस्था / सहकारी संस्था का  
नाम : \_\_\_\_\_

(ख) निम्नलिखित के लिए प्रोफार्मा :

बैंक की शाखा / कार्यालय ( )

ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है (एनएआईओ) ( )

अन्य वित्तीय संस्था की शाखा / कार्यालय ( )

(उचित खाने में सही (✓) का निशान लगाएं)

(ग) एकसमान कूट : भाग I (7/9 अंक) : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

  
(अनुदेश I, II, III देखें; स्पष्टीकरण भी देखें) (एनएआईओ के लिए)

भाग -II (7 अंक) : 

--	--	--	--	--	--	--	--

  
(भारतीय रिज़र्व बैंक आबंटित करेगा)  
(अनुदेश I,II,III देखें; स्पष्टीकरण भी देखें)

2. (क) नयी शाखा /कार्यालय /जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है ऐसे कार्यालय का नाम :

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक संदर्भ संख्या \_\_\_\_\_  
तथा संदर्भ तारीख : 

--	--

--	--

--	--	--	--

  
दिन माह वर्ष

(ग) लाइसेन्स (प्राधिकरण) संख्या : \_\_\_\_\_  
(भारिबैं से प्राप्त संख्या)

(घ) लाइसेन्स (प्राधिकरण) की तारीख : 

--	--

--	--

--	--	--	--

  
दिन माह वर्ष

(ङ) क्या यह लाइसेन्स (प्राधिकरण) के पुनर्वैधीकरण का मामला है :

हां ( ) नहीं ( )

यदि हां, तो पुनर्वैधीकरण की तारीख दें (स्पष्टीकरण देखें) :

--	--

--	--

--	--	--	--

  
दिन माह वर्ष

3. नयी शाखा /कार्यालय /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, को खोलने की तारीख : 

--	--

 दिन 

--	--

 माह 

--	--	--	--

 वर्ष

4. डाक पता :

4.1 भवन का नाम /नगरपालिका

संख्या (यदि कोई हो) : \_\_\_\_\_

4.2 सड़क का नाम (यदि कोई हो) : \_\_\_\_\_

4.3 (क) डाक घर का नाम : \_\_\_\_\_

(ख) पिन कोड : 

--	--	--	--	--	--

4.4 केंद्र में इलाके का

नाम (राजस्व इकाई) : \_\_\_\_\_

(स्पष्टीकरण देखें)

4.5 तहसील /तालुका /उप-मंडल का नाम : \_\_\_\_\_

4.6 टेलीफोन नं./टेलेक्स नं. (एसटीडी कोड सहित) : \_\_\_\_\_

4.7 फैक्स नं. : \_\_\_\_\_

4.8 ई-मेल पता : \_\_\_\_\_

5. (क) केंद्र का नाम (राजस्व गांव /शहर /नगर /नगरपालिका / नगर निगम) जिसकी सीमाओं के भीतर शाखा / कार्यालय स्थित है : \_\_\_\_\_

(यह अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है : स्पष्टीकरण देखें)

(ख) सामुदायिक विकास खंड / विकास खंड /तहसील /तालुका /

उप-मंडल / मंडल / पुलिस थाने का नाम : \_\_\_\_\_

(ग) जिले का नाम : \_\_\_\_\_

(घ) राज्य का नाम : \_\_\_\_\_

(ङ) नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार केंद्र

(राजस्व इकाई) की जनसंख्या : \_\_\_\_\_

(स्पष्टीकरण देखें)

6. क्या आपके केंद्र में अपनी शाखा / कार्यालय / जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र

नहीं है ऐसे कार्यालय के अलावा कोई अन्य प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र बैंक

शाखा (शाखाएं) / कार्यालय है / हैं : हां : ( ) नहीं : ( )

(स्पष्टीकरण देखें तथा उचित खाने में सही (✓) का निशान लगाएं)

7. (क) नयी शाखा /कार्यालय /जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है ऐसे कार्यालय की व्यावसायिक

स्थिति (स्पष्टीकरण देखें):

कूट 

--	--

 स्थिति नाम : \_\_\_\_\_

(ख) जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है ऐसे कार्यालय के मामले में निम्नलिखित ब्योरे दें

(स्पष्टीकरण देखें) :

- (i) आधार शाखा / कार्यालय का नाम : \_\_\_\_\_  
(ii) आधार शाखा / कार्यालय की एकसमान कूट संख्या

भाग -I (7 अंक) :

भाग -II (7 अंक) :

8. (i) (क) केंद्र सरकार के कारोबार की स्थिति :  
(उचित खाने में सही (✓) निशान लगाएं)

केंद्र सरकार के कारोबार का प्रकार

- (1) ( ) सरकारी कारोबार नहीं है  
(2) ( ) प्रत्यक्ष कर  
(3) ( ) विभागीकृत मंत्रालयों का खाता (डीएमए)  
(4) ( ) पेन्शन  
(5) ( ) बांड निर्गम  
(6) ( ) अन्य (यदि कुछ है तो उल्लेख करें) : \_\_\_\_\_

- (ख) राज्य सरकार के कारोबार की स्थिति (अर्थात् राजकोषीय /  
उप-राजकोषीय कारोबार) : (समुचित खाने में सही (✓) निशान लगाएं)

राजकोषीय / उप-राजकोषीय कारोबार का प्रकार (राज्य सरकार)

- (1) ( ) सरकारी कारोबार नहीं है  
(2) ( ) राजकोषीय कारोबार  
(3) ( ) उप-राजकोषीय कारोबार  
(4) ( ) पेन्शन  
(5) ( ) बांड निर्गम  
(6) ( ) अन्य (यदि कुछ है तो उल्लेख करें) : \_\_\_\_\_

- (ii) क्या इस शाखा / कार्यालय से मुद्रा तिजोरी (करेन्सी चेस्ट) संबद्ध है : हां ( ) नहीं ( )

(अ) यदि 'हां' तो निम्नलिखित जानकारी दें :

- (क) करेन्सी चेस्ट का प्रकार : क ( ) ख ( ) ग ( )  
(उचित खाने में सही (✓) निशान लगाएं।

(ख) करेन्सी चेस्ट की स्थापना की तारीख :        
दिन माह वर्ष

(ग) करेन्सी चेस्ट कूट संख्या :

(मुद्रा प्रबंध विभाग द्वारा आबंटित 8 अंकीय कूट संख्या यहां लिखें )

- (घ) जहां करेन्सी चेस्ट स्थित है उस क्षेत्र के प्रकार का उल्लेख करें :  
("क्षेत्र का प्रकार" कूट का उल्लेख करें; स्पष्टीकरण देखें)

कूट  क्षेत्र का प्रकार : \_\_\_\_\_

(आ) यदि 'नहीं' तो, करेन्सी चेस्ट सुविधा वाली निकटतम शाखा /कार्यालय का विवरण दें :

(क) बैंक का नाम : \_\_\_\_\_

(ख) शाखा का नाम : \_\_\_\_\_

(ग) एकसमान कूट संख्या का भाग - I : 

--	--	--	--	--	--	--

(घ) दूरी (कि.मी. में) : \_\_\_\_\_

(ङ) केंद्र का नाम : \_\_\_\_\_

(iii) क्या इस शाखा /कार्यालय से कोई आधान (रिपोजिटरी) संबद्ध है ? हां ( ) नहीं ( )  
(उचित खाने में सही (✓) निशान लगाएं)

(iv) क्या इस शाखा /कार्यालय से छोटे सिक्कों का डिपो संबद्ध है ? हां ( ) नहीं ( )  
(उचित खाने में सही (✓) निशान लगाएं)

(v) क्या करेन्सी चेस्ट /रिपोजिटरी /छोटे सिक्कों का डिपो सुविधा वाली शाखा से कोई  
ऐसा कार्यालय संबद्ध है जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है ?  
हां ( ) नहीं ( )  
(उचित खाने में सही (✓) निशान लगाएं)

9. शाखा /कार्यालय / ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है द्वारा संचालित कारोबार का स्वरूप :  
(उचित खाने /खानों में सही (✓) निशान लगाएं)

**नाम**

(1) ( ) **बैंकिंग कारोबार**

(2) ( ) **मर्चेंट बैंकिंग कारोबार**

(3) ( ) **विदेशी मुद्रा**

(4) ( ) **स्वर्ण जमा**

(5) ( ) **बीमा**

(6) ( ) **प्रशासनिक /नियंत्रक कार्यालय**

(7) ( ) **प्रशिक्षण केंद्र**

(8) ( ) **अन्य (यदि कोई है तो कृपया उल्लेख करें) : \_\_\_\_\_**

10. (क) शाखा / कार्यालय की प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी : ए ( ) बी ( ) सी ( )  
(उचित खाने में सही (✓) निशान लगाएं)

(ख) प्राधिकार देने की तारीख : 

--	--

--	--

--	--	--	--

  
दिन                      माह                      वर्ष

(ग) 'सी' श्रेणी के कार्यालय के मामले में, उस 'ए' अथवा 'बी' श्रेणी की शाखा / कार्यालय का नाम तथा एकसमान कूट संख्याएं लिखें जिसके माध्यम से उसके विदेशी मुद्रा लेनदेनों का निपटान होता है :

(i) शाखा /कार्यालय का नाम : \_\_\_\_\_

(ii) शाखा / कार्यालय की एकसमान कूट संख्याएं :

भाग - I

--	--	--	--	--	--	--

(7 अंक)

भाग - II :

--	--	--	--	--	--	--

(7 अंक)

11. शाखा / कार्यालय की प्रौद्योगिकी सुविधा :

(उचित खाने में सही (✓) निशान लगाएं)

प्रौद्योगिकी सुविधा

- (1) (        ) अब तक कंप्यूटरीकृत नहीं है  
(2) (        ) अंशतः कंप्यूटरीकृत  
(3) (        ) पूर्णतः कंप्यूटरीकृत

12. शाखा / कार्यालय / जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं ऐसे कार्यालय में उपलब्ध संचार सुविधा :

(उचित खाने में सही (✓) निशान लगाएं)

संचार सुविधा

- (1) (    ) कोई नेटवर्क नहीं है  
(2) (    ) इन्फोनेट  
(3) (    ) इंटरनेट  
(4) (    ) इंट्रानेट  
(5) (    ) कोर बैंकिंग सोल्यूशन  
(6) (    ) अन्य (कोई है तो कृपया उल्लेख करें) \_\_\_\_\_

13. शाखा / कार्यालय / जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं ऐसे कार्यालय के लिए मैग्नेटिक इंक कोड रीडर (माइकर कूट) संख्या : \_\_\_\_\_

14. कोई अन्य विवरण (कृपया उल्लेख करें) : \_\_\_\_\_

15. केवल भारतीय रिजर्व बैंक के उपयोग के लिए :

- (क) एडी क्षेत्र कार्यालय कूट :  
(ख) जनगणना वर्गीकरण कूट :  
(ग) पूर्ण डाक पता :

## प्रोफार्मा - II

वर्तमान शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय की स्थिति में हुए बदलाव/ विलयन/ परिवर्तन/बंद होने आदि का लागू होने के समय से विवरण

(कृपया प्रोफार्मा भरने से पूर्व सभी अनुदेश तथा स्पष्टीकरण पढ़ें। प्रोफार्मा - II में विभिन्न मदों के समक्ष कोष्ठकों में दी गयी स्पष्टीकरण टिप्पणियां संलग्न "प्रोफार्मा - I में मदों के स्पष्टीकरण" के अंतर्गत दर्शाए गए प्रोफार्मा - I की मद संख्याओं से संबंधित हैं)

बैंक /अन्य वित्तीय संस्था /सहकारी संस्था का नाम :-

### अ. शाखा/कार्यालय/प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय की स्थिति/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी /व्यवसाय के स्वरूप / डाक पते में हुआ परिवर्तन :

1. शाखा /कार्यालय / प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय का नाम (मद सं. 2(क) में स्पष्टीकरण देखें):

(क) पुराना नाम : \_\_\_\_\_

(ख) वर्तमान नाम : \_\_\_\_\_

(ग) नाम में परिवर्तन करने की तारीख :        
दिन माह वर्ष

2. एकसमान कूट (विद्यमान)

(क) भाग - I (7/9 अंक) :

(ख) भाग - II (7 अंक) :

3. शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय के व्यवसाय की स्थिति में परिवर्तन (मद सं. 7 (क) में स्पष्टीकरण देखें) :

क) पुरानी स्थिति का नाम : \_\_\_\_\_ : कूट

ख) वर्तमान स्थिति का नाम : \_\_\_\_\_ : कूट

ग) स्थिति के परिवर्तन की तारीख (यदि हो) :        
दिन माह वर्ष

4. व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन :

(उचित खाने में सही (✓) का निशान लगाएं)

(क)	पुराना	नाम	वर्तमान
(1)	( )	बैंकिंग व्यवसाय	( )
(2)	( )	वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवसाय	( )
(3)	( )	विदेशी मुद्रा	( )
(4)	( )	स्वर्ण जमा	( )

- (5) ( ) बीमा ( )  
 (6) ( ) प्रशासनिक /नियंत्रक कार्यालय ( )  
 (7) ( ) प्रशिक्षण केंद्र ( )  
 (8) ( ) अन्य (कोई है तो कृपया उल्लेख करें) ( )

(ख) व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन की तारीख (यदि हो)      
 दिन माह वर्ष

5. (क) शाखा /कार्यालय / प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय की प्रौद्योगिक सुविधा में परिवर्तन :  
 (उचित खाने में सही (✓) का निशान लगाएं)

पुराना	प्रौद्योगिक सुविधा	वर्तमान
(1) ( )	अब तक कंप्यूटरीकृत नहीं है	( )
(2) ( )	अंशतः कंप्यूटरीकृत	( )
(3) ( )	पूर्णतः कंप्यूटरीकृत	( )

(ख) प्रौद्योगिक सुविधा में परिवर्तन की तारीख :

दिन माह वर्ष

6. (क) शाखा /कार्यालय / प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है में संचार सुविधा :  
 (उचित खाने में सही (✓) का निशान लगाएं)

पुराना	संचार सुविधा	वर्तमान
(1) ( )	नेटवर्क नहीं है	( )
(2) ( )	इंफोनेट	( )
(3) ( )	इंटरनेट	( )
(4) ( )	इंट्रानेट	( )
(5) ( )	कोर बैंकिंग सोल्यूशन	( )
(6) ( )	अन्य	( )

(कोई है तो कृपया उल्लेख करें) \_\_\_\_\_

संचार सुविधा में परिवर्तन की तारीख      
 दिन माह वर्ष

7. शाखा /कार्यालय की प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी दें :

क) पुरानी श्रेणी : \_\_\_\_\_

ख) नयी /परिवर्तित श्रेणी : \_\_\_\_\_

आगे, उचित खाने में सही (✓) का निशान लगाएं :

दर्जा बढ़ाया गया ( ) दर्जा घटाया गया ( ) नये रूप से प्राधिकृत ( )

ग) दर्जा बढ़ाने/दर्जा घटाने/प्राधिकार देने की तारीख      
 दिन माह वर्ष



घ) यदि सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करने वाली शाखा को विदेशी मुद्रा व्यवसाय संभालने का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है और वह प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी 'सी' की शाखा है तो जिस संपर्क शाखा /कार्यालय के माध्यम से उसके लेनदेनों की रिपोर्ट होती है उसकी एकसमान कूट संख्या दें :

भाग - I (7 अंक) :

भाग - II (7 अंक) :

ड) यदि विद्यमान 'सी' श्रेणी शाखा का संपर्क कार्यालय बदल दिया गया है, तो नये संपर्क कार्यालय की भाग-I तथा II कूट संख्या दें :

भाग - I (7 अंक) :

भाग - II (7 अंक) :

च) यदि 'ए' / 'बी' श्रेणी की प्राधिकृत व्यापारी शाखा का दर्जा घटाकर उसे 'सी' श्रेणी का कर दिया गया है, तो उस संपर्क शाखा / कार्यालय की एकसमान कूट संख्या दें जिसके माध्यम से दर्जा घटायी गयी 'सी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा के लेनदेनों को रिपोर्ट किया जाता है :

भाग - I (7 अंक) :

भाग - II (7 अंक) :

छ) यदि 'ए' / 'बी' श्रेणी की प्राधिकृत व्यापारी शाखा, जो कि एक अथवा अधिक 'सी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा(ओं) के लिए संपर्क कार्यालय का कार्य कर रही है, का दर्जा घटाकर उसे 'सी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा बना दिया गया है, तो उन प्राधिकृत व्यापारी (रियों) की भाग-I कूट संख्या (एं) दें जिसे (जिन्हें) उक्त 'सी' श्रेणी शाखा (ओं) के संपर्क कार्यालय का कार्य सौंपा गया है ।

'सी' श्रेणी शाखा की एकसमान कूट सं.

संपर्क कार्यालय की एकसमान कूट सं.

भाग - I :

भाग - I :

भाग - I :

भाग - I :

भाग - I :

भाग - I :

(यदि 'सी' श्रेणी शाखाओं की सूची बड़ी है, तो सूची संलग्न करें)

ज) यदि अकेले ही सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करने वाली शाखा / 'सी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा को 'ए' / 'बी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा का कार्य सौंपा जाता है अथवा उसका दर्जा बढ़ाया जाता है, तो नये तौर पर दर्जा बढ़ाई गई प्राधिकृत व्यापारी शाखा से जुड़ने वाली सभी 'सी' श्रेणी शाखाओं की भाग -I कूट संख्या दें:

भाग - I (7 अंक) :

भाग - I (7 अंक) :

भाग - I (7 अंक) :

(यदि 'सी' श्रेणी शाखाओं की सूची बड़ी है, तो सूची संलग्न करें)

8. करेंसी चेस्ट /रिपोजिटरी /सिक्का डिपो /सरकारी कारोबार आदि की स्थिति में परिवर्तन यदि है, तो उससे संबंधित ब्यौरे (खोलने/अंतरण /परिवर्तन /बंद करने सहित)। अंतरण /परिवर्तन /बंद करने के इन सभी मामलों में तारीख का भी उल्लेख करें

(क) (i) केंद्र सरकार का कारोबार

(उचित खाने में सही (✓) का निशान लगाएं)

पुराना	सरकारी कारोबार का प्रकार	नया
(1) ( )	सरकारी कारोबार नहीं है	( )
(2) ( )	प्रत्यक्ष कर	( )
(3) ( )	विभागीकृत मंत्रालय लेखा (डीएमए)	( )
(4) ( )	पेन्शन	( )
(5) ( )	बांड निर्गम	( )
(6) ( )	अन्य (कोई है तो कृपया उल्लेख करें): _____	( )

(ii) परिवर्तन की तारीख :

□□	□□	□□□□
दिन	माह	वर्ष

(ख) (i) राजकोषीय /उप राजकोषीय कारोबार (राज्य सरकार का कारोबार)

(उचित खाने में सही (✓) का निशान लगाएं)

पुराना	राजकोषीय /उप राजकोषीय कारोबार का प्रकार	नया
(1) ( )	सरकारी कारोबार नहीं है	( )
(2) ( )	राजकोषीय कारोबार	( )
(3) ( )	उप राजकोषीय कारोबार	( )
(4) ( )	पेन्शन	( )
(5) ( )	बांड निर्गम	( )
(6) ( )	अन्य (कोई है तो कृपया उल्लेख करें): _____	( )

(ii) परिवर्तन की तारीख :

□□	□□	□□□□
दिन	माह	वर्ष

(ग) करेंसी चेस्ट का प्रकार बताएं :

पुरानी : ( ) वर्तमान : ( )

परिवर्तन की तारीख :

□□	□□	□□□□
दिन	माह	वर्ष

(घ) यदि करेंसी चेस्ट के लिए नये तौर पर प्राधिकार दिये गये हैं तो निम्नलिखित को दर्शाएं :

(i) करेंसी चेस्ट का प्रकार (उचित खाने में सही (✓) का निशान लगाएं) :

क ( ) ख ( ) ग ( )

(ii) प्राधिकार देने की तारीख :

□□	□□	□□□□
दिन	माह	वर्ष

(iii) करेन्सी चेस्ट कूट सं. : 

--	--	--	--	--	--	--	--

  
(मुद्रा प्रबंध विभाग द्वारा आबंटित 8 अंकीय कूट संख्या लिखें)

(iv) करेन्सी चेस्ट जहां स्थित है उस क्षेत्र के प्रकार का उल्लेख करें :  
(‘क्षेत्र का प्रकार’ कूट संख्या दें : स्पष्टीकरण देखें)

कूट संख्या : 

--

 क्षेत्र का प्रकार : \_\_\_\_\_

(ड) रिपोजिटरी : \_\_\_\_\_

(च) सिक्का-डिपो : \_\_\_\_\_

9. पूरा डाक पता : (मद संख्या 4.1 से 4.8 में स्पष्टीकरण देखें)

(i) पुराना

(क) भवन का नाम /नगरपालिका संख्या (यदि हो) : \_\_\_\_\_

(ख) सड़क का नाम (यदि हो) : \_\_\_\_\_

(ग) (i) डाक घर का पता : \_\_\_\_\_

(ii) पिन कोड : 

--	--	--	--	--	--

(घ) केंद्र में इलाके का नाम (राजस्व इकाई) : \_\_\_\_\_

(ड) केंद्र का नाम (राजस्व इकाई) : \_\_\_\_\_

(च) सामुदायिक विकास खंड /विकास खंड /तहसील /तालुका /उप-प्रभाग /मंडल /  
पुलिस थाने का नाम : \_\_\_\_\_

(छ) टेलीफोन सं. /टेलेक्स सं. (एसटीडी कोड सहित) : \_\_\_\_\_

(ज) फैक्स सं. : \_\_\_\_\_

(झ) ई-मेल पता : \_\_\_\_\_

(ii) वर्तमान

(क) भवन का नाम /नगरपालिका संख्या (यदि हो) : \_\_\_\_\_

(ख) सड़क का नाम (यदि हो) : \_\_\_\_\_

(ग) (i) डाक घर का पता : \_\_\_\_\_

(ii) पिन कोड : 

--	--	--	--	--	--

(घ) केंद्र में इलाके का नाम (राजस्व इकाई) : \_\_\_\_\_

(ड) केंद्र का नाम (राजस्व इकाई) : \_\_\_\_\_

(च) सामुदायिक विकास खंड /विकास खंड /तहसील /तालुका /उप-प्रभाग /मंडल /  
पुलिस थाने का नाम : \_\_\_\_\_

(छ) टेलीफोन सं. /टैलेक्स सं. (एसटीडी कोड सहित) : \_\_\_\_\_

(ज) फैक्स सं. : \_\_\_\_\_

(झ) ई-मेल पता : \_\_\_\_\_

(iii) पते में परिवर्तन की तारीख

□□	□□	□□□□
दिन	माह	वर्ष

10. (i) यदि शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय को अलग केंद्र (राजस्व इकाई) पर पुनः स्थापित किया गया है तो वर्तमान केंद्र के ब्योरे दें :  
(क), (ख), (ग) तथा (घ) के लिए क्रमशः मद सं. 2(क), 5(क), 5(ख) तथा 5(ड) में स्पष्टीकरण देखें)

(क) शाखा /कार्यालय/ प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय का नाम : \_\_\_\_\_

(ख) राजस्व इकाई (केंद्र का नाम) : \_\_\_\_\_

(ग) सामुदायिक विकास खंड /विकास खंड /तहसील /तालुका /उप-प्रभाग / मंडल /पुलिस थाने का नाम : \_\_\_\_\_

(घ) जिले का नाम : \_\_\_\_\_

(ड) राज्य का नाम : \_\_\_\_\_

(च) केंद्र की जनसंख्या (नवीनतम जनगणना के अनुसार) : \_\_\_\_\_

(ii) केंद्र में परिवर्तन की तारीख

□□	□□	□□□□
दिन	माह	वर्ष

11. यदि शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय को अलग केंद्र पर पुनः स्थापित किया गया है तो पुनः स्थापन के कारण दें : \_\_\_\_\_

(क) लाइसेंस सं. : \_\_\_\_\_

(ख) भा.रि.बैं. के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा \_\_\_\_\_ में लाइसेंस को उचित रूप से संशोधित करने की तारीख :

□□	□□	□□□□
दिन	माह	वर्ष

(ग) भा.रि.बैं. के केंद्रीय कार्यालय के अनुमोदन की संदर्भ सं. तथा तारीख :

संदर्भ सं. \_\_\_\_\_ तारीख: □□ □□ □□□□  
दिन माह वर्ष

12. किसी प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय की आधार शाखा /कार्यालय का परिवर्तन /बंद होने के मामले में निम्नलिखित जानकारी दें :

(क) पुरानी आधार शाखा/कार्यालय का भाग-I कूट सं. : □□□□□□□□

(ख) नयी आधार शाखा /कार्यालय का भाग-I कूट सं. : □□□□□□□□

13. कोई अन्य जानकारी : \_\_\_\_\_

**ख. शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय का बंद होना/विलयन /परिवर्तन :**

1. समापन ( ) विलयन ( ) परिवर्तन ( ) की सूचना  
(उचित खाने में सही (✓) का निशान लगाएं)

2. शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय का नाम (मद सं. 2(क) में स्पष्टीकरण देखें) : -----

3. एकसमान कूट संख्याएं (मद सं. 1(ख) में स्पष्टीकरण देखें) :

भाग - I

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

भाग - II :

--	--	--	--	--	--	--	--

4. (क) शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय का डाक पता :  
(मद सं. 4.1 से 4.8 में स्पष्टीकरण देखें) :

(i) भवन का नाम /नगरपालिका संख्या (यदि हो) : \_\_\_\_\_

(ii) सड़क का नाम (यदि हो) : \_\_\_\_\_

(iii) (क) डाक घर का पता : \_\_\_\_\_

(ख) पिन कोड : 

--	--	--	--	--	--

(iv) केंद्र में इलाके का नाम (राजस्व इकाई) : \_\_\_\_\_

(v) सामुदायिक विकास खंड /विकास खंड /तहसील /तालुका /उप-प्रभाग /मंडल /  
पुलिस थाने का नाम : \_\_\_\_\_

(vi) टेलीफोन सं. /टेलेक्स सं. (एसटीडी कोड सहित) : \_\_\_\_\_

(vii) फैक्स सं. : \_\_\_\_\_

(viii) ई-मेल पता : \_\_\_\_\_

(ख) केंद्र का नाम : \_\_\_\_\_

(मद सं. 5(क) में स्पष्टीकरण देखें)

(ग) जिले का नाम : \_\_\_\_\_

(घ) राज्य का नाम : \_\_\_\_\_

(ङ) नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार केंद्र (राजस्व इकाई) की जनसंख्या : \_\_\_\_\_  
(मद सं. 5(ङ) में स्पष्टीकरण देखें)

5. समापन /विलयन /परिवर्तन की तारीख: 

--	--	--	--	--	--

  
दिन                      माह                      वर्ष

6. भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की संदर्भ सं. तथा तारीख :

संदर्भ सं. \_\_\_\_\_ तारीख: 

--	--	--	--	--	--

  
दिन                      माह                      वर्ष

7. बंद करने /विलयन/परिवर्तन का कारण : \_\_\_\_\_

8. भारिबैं के \_\_\_\_\_ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को

(शाखा /कार्यालय/प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय का नाम) के लिए लाइसेंस वापस करने की तारीख :

□□	□□	□□□□
दिन	माह	वर्ष

9. ऐसी 'ए'/'बी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा के समापन /विलयन के मामले में, जो एक या उससे अधिक 'सी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा(ओं), के लिए संपर्क कार्यालय का कार्य कर रही है, उन प्राधिकृत व्यापारी शाखा(ओं) की भाग I कूट संख्या दें जिसे/जिन्हें उक्त 'सी' श्रेणी शाखा(ओं) के संपर्क कार्यालय का कार्य सौंपा गया है :

**‘सी’ श्रेणी शाखा की एकसमान कूट संख्या**                      **संपर्क कार्यालय की एकसमान कूट संख्या**

भाग - I : □□□□□□□□

भाग - I : □□□□□□□□

भाग - I : □□□□□□□□

भाग - I : □□□□□□□□

भाग - I : □□□□□□□□

भाग - I : □□□□□□□□

(यदि 'सी' श्रेणी शाखों की सूची बड़ी है तो सूची संलग्न करें)

10. यदि शाखा/कार्यालय को ऐसे कार्यालय के रूप में जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है (एनएआइओ), परिवर्तित किया गया है तो ऐसे एनएआइओ का प्रकार दें :  
(मद सं. 7 (क) (iv) में स्पष्टीकरण देखें)

स्थिति नाम : \_\_\_\_\_ कूट संख्या : □□

11. आधार /आमेलक शाखा /कार्यालय का विवरण :

(क) **प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय के रूप में** परिवर्तित होने के मामले में :

i) **आधार** शाखा /कार्यालय का नाम : \_\_\_\_\_

ii) एकसमान कूट संख्याएं : भाग - I (7 अंक) : □□□□□□□

भाग - II (7 अंक) : □□□□□□□

iii) संपूर्ण डाक पता : \_\_\_\_\_

(ख) शाखाओं /कार्यालयों/प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालयों के विलय /आमेलन के मामलों में :

i) **आमेलक** शाखा /कार्यालय का नाम : \_\_\_\_\_

ii) एकसमान कूट संख्याएं : भाग - I (7 अंक) : □□□□□□□

भाग - II (7 अंक) : □□□□□□□

iii) संपूर्ण डाक पता : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(ग) यदि कतिपय प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालयों के लिए आधार शाखा के रूप में कार्य करने वाली शाखा को समाप्त / प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय के रूप में परिवर्तित / अन्य शाखा में विलयित किया गया है तो उन प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालयों की आधार शाखा के ब्योरे दें, जो समाप्त / परिवर्तित/ विलयित शाखा से पूर्व में संबद्ध थे :

i) आधार शाखा / कार्यालय का नाम : \_\_\_\_\_

ii) एकसमान कूट संख्याएं : भाग - I (7 अंक) : 

--	--	--	--	--	--	--

भाग - II (7 अंक) : 

--	--	--	--	--	--	--

iii) संपूर्ण डाक पता : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

टिप्पणी : 1) इस प्रोफार्मा में अलग-अलग समक्ष कोष्ठकों में रखी गयी स्पष्टीकरण टिप्पणियों के लिए कृपया अनुलग्नक "प्रोफार्मा - I में मर्दों के स्पष्टीकरण " देखें ।

2) इस प्रोफार्मा में जब तक 7 अंकीय एकसमान कूट संख्याओं के भाग I तथा भाग II का उल्लेख नहीं किया जाता, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

## प्रोफार्मा - I तथा II भरने के लिए अनुदेश

टिप्पणी : कृपया प्रोफार्मा भरने से पूर्व निम्न अनुदेश पढ़ें

- I. प्रोफार्मा - I शाखा/कार्यालय/ऐसे कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है के खुलने के दिन अथवा उसके बाद प्रस्तुत किये जाने चाहिए, लेकिन शाखा/कार्यालय /ऐसे कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है के खुलने के पहले नहीं ।
- II. प्रोफार्मा - I सभी तरह की नयी खुली हुई बैंक शाखाओं /कार्यालयों /ऐसे कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं के लिए है तथा प्रोफार्मा - II विद्यमान बैंक शाखाओं/कार्यालयों/ऐसे कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं की स्थिति/डाक पते में परिवर्तन, बंद होने/विलयन/परिवर्तन/पुनःस्थापन / उन्नयन आदि रिपोर्ट करने के लिए है ।
- III. अब तक एकसमान कूट संख्याएं भारतीय रिज़र्व बैंक को अलग विवरणियां (7(ख) में स्पष्टीकरण देखें) प्रस्तुत करने वाले प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र कार्यालयों/शाखाओं को दी जाती थीं । हाल ही में, यह निर्णय लिया गया है कि स्टैण्ड-एलोन एटीएम/विस्तार पटलों /अनुषंगी कार्यालय /प्रतिनिधि कार्यालय/नकदी काउंटर/इन्स्पेक्टोरेट/वसूली काउंटर/मोबाइल कार्यालय/ एअरपोर्ट काउंटर/ होटल काउंटर/एक्स्चेंज ब्यूरो जैसे कार्यालयों जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र कार्यालय नहीं हैं ( एनएआइओ - अस्थायी कार्यालयों), को 9 अंकों वाली एकसमान कूट संख्याएं आबंटित की जाए । तथापि किसी मेले/प्रदर्शनी आदि के स्थान पर खोले गये अस्थायी कार्यालय से संबंधित प्रोफार्मा सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग को न भेजें ।
- IV. जिन सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपनी नयी शाखाओं/कार्यालयों/ऐसे कार्यालयों, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, को भाग I कूट संख्या देने की अनुमति दी गयी है; उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रोफार्मा - I प्रेषित करते समय उपर्युक्त III में उल्लिखित अनुदेश का कड़ाई से पालन करना होगा ।
- V. किसी ऐसे कार्यालय का, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, संपूर्ण शाखा/ कार्यालय में उन्नयन किया जाता है तो उसे मूल कार्यालय का बंद होना और शाखा / कार्यालय का खुलना समझा जाए । तदनुसार, उस कार्यालय, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, के बंद होने के लिए प्रोफार्मा - II तथा शाखा / कार्यालय में उन्नयन के लिए प्रोफार्मा - I प्रस्तुत किया जाए ।
- VI. विकल्पतः, यदि किसी शाखा /कार्यालय को, ऐसे कार्यालय में जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, परिवर्तित किया गया है, तो शाखा /कार्यालय के बंद होने के लिए प्रोफार्मा - II तथा परिवर्तन /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, खोलने के लिए प्रोफार्मा - I प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।



- VII. **भाग - I तथा भाग - II** कूट संख्या के आबंटन /भाग -II कूट संख्या में संशोधन के लिए प्रोफार्मा- I तथा II तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक प्रोफार्मा की सभी मदें उचित रूप से भरी नहीं जाती हैं ।

### प्रोफार्मा -I की मदों का स्पष्टीकरण

#### मद सं. 1 (ग) :

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (एसबीआई तथा उसके 7 सहयोगी बैंक एवं 19 राष्ट्रीयकृत बैंक तथा इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक ऑफ इंडिया लि.) को केवल अपनी शाखाओं/ कार्यालयों/ऐसे कार्यालयों जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं को 7/9 अंक वाली भाग - I कूट संख्याएं देने की अनुमति है तथा अन्य बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (सांविक्सेवि) भाग - I तथा भाग II दोनों कूट संख्याएं आबंटित करता है । ऐसा प्रत्येक कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, किसी स्वतंत्र शाखा से संबद्ध होता है। जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र कार्यालय नहीं है उसके लिए भाग - I कूट संख्या के अंतिम दो अंक (बायें से 8वां तथा 9वां अंक) हैं, जिनके आगे आधार शाखा की 7 अंकीय भाग - I कूट संख्या होगी ।

बैंकों की शाखाओं /कार्यालयों की एकसमान कूट संख्या दो भागों की होती है, - प्रति 7 अंकों की भाग - I कूट संख्या तथा भाग - II कूट संख्या; जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र कार्यालय नहीं हैं उनकी भाग - I कूट संख्या को 2 अतिरिक्त अंक जोड़ दिये जाते हैं ।

**भाग - I कूट संख्या** निम्नानुसार परिभाषित की जाती है :

- **वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं** की शाखाओं /कार्यालयों/ऐसे कार्यालयों, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, के लिए :
  - बायें से पहले तीन अंक बैंक की कूट संख्या से संबंधित हैं
  - अगले चार अंक शाखा कूट संख्या दर्शाते हैं
  - अंतिम दो अंक ऐसे कार्यालयों, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, की कूट संख्या दर्शाते हैं ।
- **राज्य/जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, राज्य /केंद्रीय भूमि विकास बैंकों** की शाखाओं/ कार्यालयों/ऐसे कार्यालयों, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं :
  - बाएं से पहले चार अंक बैंक कूट संख्या दर्शाते हैं
  - अगले तीन अंक शाखा कूट संख्या दर्शाते हैं
  - अंतिम दो अंक ऐसे कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, की कूट संख्या दर्शाते हैं ।

- अन्य सहकारी बैंकों, सैलरी अर्नर्स सोसाइटी, राज्य वित्तीय निगमों तथा टूरस, ट्रेवल्स, वित्त तथा पट्टादायी कंपनियों की शाखाओं /कार्यालयों / ऐसे कार्यालयों जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, के लिए :

बाएं से पहले पांच अंक बैंक कूट संख्या दर्शाते हैं ।

अगले दो अंक शाखा कूट संख्या दर्शाते हैं ।

अंतिम दो अंक ऐसे कार्यालयों, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, की कूट संख्या दर्शाते हैं ।

**भाग - II कूट संख्या** को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है, चाहे 'बैंकों'की श्रेणी कुछ भी क्यों न हों,

बाएं से पहले तीन अंक जिला कूट संख्या दर्शाते हैं ।

अगले तीन अंक जिले के भीतर केंद्र कूट संख्या दर्शाते हैं ।

अंतिम एकल अंक जनसंख्या विस्तार सीमा कूट संख्या दर्शाता है ।

जनसंख्या विस्तार सीमा कूट संख्या तथा जनसंख्या समूह कूट संख्या के बीच का संबंध नीचे दर्शाया गया है :

एकसमान कूट संख्या (जनसंख्या विस्तार सीमा कूट संख्या) के भाग - II का अंतिम अंक	जनसंख्या विस्तार सीमा	जनसंख्या समूह	जनसंख्या समूह कूट संख्या
1	4999 तक	ग्रामीण	1
2	5000 से 9999 तक		
3	10000 से 19,999	अर्धशहरी	2
4	20,000 से 49,999		
5	50,000 से 99,999		
6	1,00,000 से 1,99,999	शहरी	3
7	2,00,000 से 4,99,999		
8	5,00,000 से 9,99,999		
9	10 लाख तथा उससे अधिक	महानगर	4

**मद सं. 2 (क) :**

शाखा /कार्यालय /ऐसे कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, का नाम लिखना चाहिए ।

**मद सं. 2 (ख) :**

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए प्राधिकार /अनुमोदन पत्र की संदर्भ सं. तथा तारीख का उल्लेख किया जाना चाहिए ।

### मद सं. 2 (ग) :

लाइसेंस सं. यदि पहले से ही उपलब्ध है (भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त किये गये अनुसार) तो लिखनी है, अगर उपलब्ध नहीं है तो उसे एकसमान कूट संख्याओं के साथ बाद में संप्रेषित किया जाना चाहिए ।

### मद सं. 2 (घ) :

लाइसेंस की सही तारीख (माह तथा वर्ष सहित) दर्शाई जानी है ।

### मद सं. 2 (ङ) :

यदि शाखा /कार्यालय /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, लाइसेंस जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद खोला गया है तो कृपया दर्शाएं कि क्या लाइसेंस का पुनर्वैधीकरण किया गया था अथवा नहीं, तथा यदि पुनर्वैधीकरण किया गया था तो उसकी तारीख का उल्लेख करें ।

### मद सं. 3 :

खोलने की सही तारीख, माह तथा वर्ष लिखें ।

### मद सं. 4.1 से 4.3 तथा 4.6 से 4.8

नाम/संख्याएं/कूट संख्याएं उचित मद संख्या के समक्ष लिखें । मद सं. 4.3 (ख) के समक्ष पिन कोड दर्शाएं । मोबाइल कार्यालय तथा मोबाइल एटीएम के संबंध में आधार शाखा / कार्यालय का विस्तृत पता रिपोर्ट करें ।

### मद सं. 4.4 :

जहां शाखा /कार्यालय /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है स्थित है, उस इलाके के सही स्थान का नाम बताएं । यदि शाखा /कार्यालय /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, किसी गाँव में खोला गया है तो उस गाँव का नाम ही इलाके का नाम होगा । मोबाइल कार्यालय अथवा मोबाइल एटीएम के मामले में आधार शाखा /कार्यालय के संबंधित ब्योरे दिए जाएं ।

### मद सं. 4.5 तथा 5 (ख) :

मद 5 (क) में दिये गये केंद्र के नाम के संदर्भ में तहसील /तालुका /उप-प्रभाग तथा सामुदायिक विकास खंड के नाम क्रमशः मद सं. 4.5 तथा 5 (ख) के सामने दर्शाएं ।

महानगरीय केंद्रों के मामले में यह लागू नहीं होगा ।

मोबाइल कार्यालय अथवा मोबाइल एटीएम के मामले में आधार शाखा /कार्यालय के संबंधित ब्योरे दिये जाने चाहिए ।

मद सं. 5 (क) :

मद सं. 4.4 में उल्लिखित इलाका जिस गांव/शहर/नगर/नगरपालिका/नगरपालिका निगम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है उसका नाम लिखें। उस गांव का नाम लिखें अगर शाखा/कार्यालय/ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, ऐसे गांव में खोला गया है जो कि राजस्व यूनिट/केंद्र है । मोबाइल कार्यालय अथवा मोबाइल एटीएम के मामले में आधार शाखा/कार्यालय के संबंधित ब्योरे किये जाने चाहिए ।

सावधानी :

यदि मद सं. 5 (क) में केंद्र का नाम सही नहीं लिखा है तो गलत भाग - II कूट संख्या के साथ शाखा /कार्यालय / ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र कार्यालय नहीं है, का गलत वर्गीकरण हो सकता है । मद सं. 4.4 तथा 5 (क) के समक्ष पंचायत / खंड /तहसील /जिले आदि का नाम तब तक नहीं आना चाहिए जब तक शाखा /कार्यालय / ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, पंचायत /खंड /तहसील /जिले के मुख्यालय में स्थित न हो ।

मद सं. 5 (ड) : (मद सं. 5 (क) भी देखें )

शाखा / कार्यालय /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है,जहां स्थित है उस केंद्र (राजस्व यूनिट) की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के नवीनतम आंकड़े दें । पूर्ण पंचायत /खंड /तहसील /जिले आदि की जनसंख्या को विचार में न लें । राजस्व केंद्र की जनसंख्या जनगणना हैण्डबुक /स्थानीय जनगणना प्राधिकरण अथवा स्थानीय प्रशासन जैसे - जिला कलेक्टर /तहसीलदार / खंड विकास अधिकारी आदि से प्राप्त की जा सकती है और इस आशय का प्रमाणपत्र (मूल रूप में) जिसमें निम्नलिखित दो पहलू शामिल हैं, संबंधित स्थानीय प्रशासन से प्राप्त कर प्रेषित किया जाए :

- (i) संदर्भाधीन शाखा /कार्यालय /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, जहाँ स्थित है उस राजस्व केंद्र का नाम ।
- (ii) नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उक्त राजस्व केंद्र की जनसंख्या ।

मद सं. 6 :

कोई भी कार्यालय प्रशासनिक रूप से तब स्वतंत्र है, जब वह अलग खाता बहियाँ रखता है और उसे भारतीय रिजर्व बैंक को एक अथवा अधिक बीएसआर विवरणियां प्रस्तुत करनी पड़ती हैं ।

यदि उपर्युक्त मद सं. 5 (क) में उल्लिखित केंद्र (राजस्व यूनिट) में किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा किसी अन्य वाणिज्य /सहकारी बैंक की कोई प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र शाखा /कार्यालय नहीं है जिसकी सीमा के अंदर नई शाखा /कार्यालय स्थित है तो 'नहीं' के समक्ष सही (✓) का निशान लगाएं, अन्यथा 'हां' के समक्ष सही (✓) का निशान लगाएं ।

**मद सं. 7 (क) :**

विभिन्न प्रकार (व्यावसायिक स्थिति ) की शाखाओं /कार्यालयों /ऐसे कार्यालयों जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं के नाम तथा संबंधित कूट संख्याएं नीचे I से IV श्रेणियों में सूचीबद्ध की गयी हैं । समुचित **स्थिति** का नाम तथा तदनुसूची कूट संख्या लिखी जानी चाहिए ।

चूँकि सूची व्यापक नहीं है, इसलिए कृपया कार्यालय /शाखा /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है की सही स्थिति "कोई अन्य शाखा /कार्यालय /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है" श्रेणी के अंतर्गत दें :

**I. प्रशासनिक कार्यालय के मामले में**

<u>कूट सं.</u>	<u>स्थिति का नाम</u>
(01)	पंजीकृत कार्यालय
(02)	केंद्रीय /मुख्य कार्यालय / प्रधान कार्यालय
(03)	स्थानीय मुख्य कार्यालय
(04)	क्षेत्रीय कार्यालय /क्षेत्र कार्यालय /अंचल कार्यालय /मंडल कार्यालय / परिमंडल कार्यालय
(05)	निधि प्रबंधन कार्यालय
(06)	अग्रणी बैंक कार्यालय
(07)	प्रशिक्षण केंद्र
(09)	कोई अन्य प्रशासनिक कार्यालय (जो ऊपर शामिल न किया गया हो, कृपया स्पष्ट करें)

**II. सामान्य बैंकिंग शाखा के मामले में**

<u>कूट सं.</u>	<u>स्थिति का नाम</u>
(10)	सामान्य बैंकिंग शाखा

### III. विशेषीकृत शाखा के मामले में

#### (क) कृषि विकास/वित्त शाखाएं

- (11) कृषि विकास शाखा ( एडीबी)
- (12) विशेषीकृत कृषि वित्त शाखा हाइ-टेक ( एसएएफबी हाइ-टेक)
- (13) कृषि वित्त शाखा ( एएफबी)

#### (ख) लघु उद्योग /लघु उद्योग तथा लघु कारोबार शाखाएं

- (16) लघु कारोबार विकास शाखा /कार्यालय
- (17) लघु उद्योग शाखा ( एसएसआइ)
- (18) लघु उद्योग तथा लघु कारोबार शाखा ( एसआइबी)

#### (ग) औद्योगिक /कंपनी वित्त /बड़े अग्रिम शाखाएं

- (21) औद्योगिक वित्त शाखा ( आइएफबी)
- (22) कंपनी वित्त शाखा ( सीएफबी)
- (23) किराया खरीद तथा पट्टादायी वित्त शाखा
- (24) औद्योगिक खाता शाखा
- (25) बड़े अग्रिम शाखा
- (26) कारोबार वित्त शाखा
- (27) मध्यम कंपनी (मिड कॉर्पोरेट) शाखा

#### (घ) परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन /औद्योगिक पुनर्व्यवस्था शाखाएं

- (30) परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन सेवा शाखा ( एआरएमएस)
- (31) औद्योगिक पुनर्व्यवस्था शाखा

#### (ङ) पूंजी बाज़ार/अभिरक्षक सेवाएं मर्चेंट/व्यापारिक (मर्कटाइल) बैंकिंग शाखाएं

- (35) पूंजी बाज़ार सेवा शाखा ( सीएमएस)
- (36) अभिरक्षक सेवा शाखा
- (37) मर्चेंट बैंकिंग शाखा
- (38) मर्कटाइल बैंकिंग शाखा

(च) विदेशी / अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग कार्यालय / शाखाएं

- (41) अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग कार्यालय / शाखाएं
- (42) विदेशी शाखा
- (43) अंतर्राष्ट्रीय कारोबार शाखा / कार्यालय / केंद्र
- (44) अंतर्राष्ट्रीय विनिमय शाखा

(छ) वाणिज्य / व्यक्तिगत बैंकिंग शाखाएं

- (47) अनिवासी भारतीय (एनआरआई) शाखा
- (48) आवास वित्त शाखा
- (49) व्यक्तिगत बैंकिंग सेवा शाखा
- (50) उपभोक्ता वित्त शाखा
- (51) विशेषीकृत बचत शाखा
- (52) वाणिज्य तथा व्यक्तिगत बैंकिंग शाखा
- (53) विशेषीकृत वाणिज्य शाखा
- (54) ड्राफ्ट अदाकर्ता (पेइंग) शाखा
- (55) व्यावसायिक (प्रोफेशनल्स) शाखा
- (56) लॉकर शाखा
- (57) विशेषीकृत व्यापार शाखा
- (58) डायमंड शाखा
- (59) आवास वित्त व्यक्ति बैंकिंग शाखा

(ज) वसूली तथा अदायगी / शीघ्र (तेज) सेवा / एसटीएआरएस / स्टार्स शाखाएं

- (63) सेवा शाखा / समाशोधन शाखा / कक्ष
- (64) वसूली तथा अदायगी सेवा शाखा
- (65) शीघ्र वसूली शाखा
- (66) तेज सेवा शाखा
- (67) शीघ्र अंतरण तथा वसूली सेवा (स्टार्स) शाखा

(झ) अन्य प्रकार की विशेषीकृत शाखाएं

- (71) राजकोष शाखा (सरकारी कारोबार)
- (72) शेयर बाजार (स्टॉक एक्सचेंज) शाखा
- (73) ऑटो-टेक शाखा

- (74) निधि अंतरण सेवा (एफटीएस) शाखा
- (75) कमज़ोर वर्ग शाखा
- (76) सुरक्षा सेवा शाखा
- (77) विशेषीकृत महिला उद्यमी शाखा
- (78) विशेषीकृत नकदी प्रबंधन सेवा शाखा
- (79) स्व-सहायता समूहों के लिए माइक्रो सेफ शाखा
- (80) विशेषीकृत शाखा/कार्यालय की कोई अन्य श्रेणी  
(ऊपर शामिल न की गयी, कृपया स्पष्ट करें)

**IV. ऐसे कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं के मामले में**

- (85) विस्तार पटल
- (86) अनुषंगी कार्यालय
- (87) मोबाइल कार्यालय
- (88) सेवा शाखा \*
- (89) मोबाइल एटीएम
- (90) ऑन-साइट एटीएम
- (91) ऑफ -साइट एटीएम
- (92) प्रतिनिधि कार्यालय
- (93) विनिमय ब्यूरो
- (99) ऐसे कोई अन्य कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं  
(ऊपर शामिल न किये गये, कृपया स्पष्ट करें)

\* यदि वह अलग खाता-बही नहीं रखती है

**मद सं. 7 (ख) :**

जो कार्यालय प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, उनमें अलग खाता बहियां नहीं रखी जाती हैं और उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक को बीएसआर विवरणियां प्रस्तुत नहीं करनी पड़ती हैं। ऐसे कार्यालय उस आधार शाखा /कार्यालय का नाम तथा उसकी एकसमान कूट संख्याएं दें जिनके साथ उन कार्यालयों, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं (एनएआइओ) के खाते रखे जाएंगे।



**मद सं. 8 (ii) (क) (घ) :**

नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से उचित कूट संख्या दर्शाएं :

<u>कूट संख्या</u>	<u>क्षेत्र प्रकार</u>
(0)	सामान्य क्षेत्र
(1)	सीमा क्षेत्र
(2)	उपद्रवग्रस्त क्षेत्र (अधिक जोखिम )
(3)	प्राकृतिक विपत्तियों (बाढ़ /भूकंप प्रवण क्षेत्र आदि) से प्रभावित क्षेत्र
(4)	हिमपात आदि के कारण पर्याप्त परिवहन सुविधा से रहित क्षेत्र

टिप्पणी : अधिक स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित से संपर्क अथवा पत्राचार करें :

निदेशक

बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग

सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय

सी - 9, छठी मंज़िल, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स

बांद्रा (पूर्व)

मुंबई - 400 051

फोन नं : (022) 2657 8100 एक्स. 7360

फैक्स : (022) 2657 0847 / 2657 2319

## मास्टर परिपत्र से एकत्रित की गयी परिपत्रों की सूची

सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 99/ 22.01.010/2006-07	24.05.2007	डोरस्टेप बैंकिंग
2.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 59/ 22.01.010/2006-07	21.02.2007	डोरस्टेप बैंकिंग
3.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 11/ 22.01.001/2006	01.07.2006	शाखा प्राधिकरण पर मास्टर परिपत्र
4.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 72/ 22.01.009/2005-06	22.03.2006	बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से वित्तीय समावेशन - व्यावसायिक सुविधादाताओं/संपर्ककर्ताओं का उपयोग
5.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 58/ 22.01.001/2005-06	25.01.2006	बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से वित्तीय समावेशन व्यावसायिक सुविधादाताओं/संपर्ककर्ताओं का उपयोग
6.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 55/ 22.01.001/2005-06	23.01.2006	शाखा प्राधिकरण नीति
7.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 35/ 22.01.001/2005-06	08.09.2005	उदारीकृत शाखा प्राधिकरण नीति
8.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 24/ 22.01.001/2005-06	03.08.2005	बैंकों की शाखा विस्तार कार्यनीति
9.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 92/ 22.01.001/2004-05	20.05.2005	तिमाही विवरणी प्रस्तुत करना - प्रोफार्मा I एवं II
10.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 86/ 22.01.001/2004-05	30.04.2005	डोरस्टेप बैंकिंग
11.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 82/ 22.01.001/2004-05	27.04.2005	शाखाओं/कार्यालयों का स्थानांतरण - क्रियाविधि को सरल तथा कारगर बनाना
12.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 39 / 22.01.001/2004-05	10.09. 2004	केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र / बैंक ऑफिस इत्यादि खोलना
13.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 23 / 22.01.001/2003	11.09.2003	विस्तार पटल (एक्सटेंशन काउंटर) पर डिपोजिटरी सेवाएं देना
14.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 13/ 22.01.001/2003	18.08.2003	बैंक शाखाओं का अभिग्रहण (टेक ओवर)
15.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 5/ 22.01.001/2003	23.07.2003	ए टी एम के जरिए निधियों का तीसरी पार्टी को अंतरण
16.	बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 32 / 23.03.001/2002-03	17.10.2002	विदेशी बैंकों की शाखाएं बंद करना
17.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 74 / 22.01.001/2002	11.03.2002	सामान्य बैंकिंग शाखाओं को विशेषीकृत लघु उद्योग शाखाओं में परिवर्तित किया जाना
18.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 62 / 22.01.001/2002	28.01.2002	ए टी एम नेटवर्क पर तीसरी पार्टी के विज्ञापन
19.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 23 / 22.01.001/2000-01	12.09.2000	शाखाएँ / विस्तार पटल खोलना / स्थान बदलना आदि - लाइसेंस पहले से प्राप्त करना

20.	बैंपविवि. सं. बीसी. 127 / 12.05.005/99-2000	30.11.1999	रिजर्व बैंक को बैंकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों का युक्तिकरण
21.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 74 / 22.01.001/98	29.07.1998	ब्लॉक / सेवा क्षेत्र से बाहर ग्रामीण शाखाओं का स्थानांतरण और ग्रामीण शाखाओं को बंद करना
22.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 115/ 22.06.001/97	21.10.1997	शाखा बैंकिंग सांख्यिकी-मासिक विवरणियों की प्रस्तुति - प्रोफार्मा II और III में संशोधन
23.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 64/ 22.01.003/97	05.06.1997	दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में वाणिज्य बैंकों के कार्यालय खोलना - दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)
24.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 76/ 22.01.001/96	17.06.1996	बैंपविवि के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन
25.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 60/ 21.03.051/96	16.05.1996	स्वचालित टेलर मशीनें (एटीएम)
26.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 123 / 21.03.051/95	16.10.1995	स्वचालित टेलर मशीनें (एटीएम)
27.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 152 / 21.03.051/94	29.12.1994	स्वचालित टेलर मशीनें (एटीएम)
28.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 152 / 22.01.001/93	24.08.1993	बैंक शाखाएं खोलना/बंद करना
29.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 41 / 22.01.001/92	09.10.1992	बैंकों को कार्यालयों का स्थान बदलने, नया कारोबार करने आदि के लिए प्राधिकार का प्रत्यायोजन
30.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 132/ 22.01.001/92	20.05.1992	बैंकों को कार्यालय स्थानांतरित करने, नियंत्रण कार्यालय खोलने, नया कारोबार करने आदि के लिए प्राधिकार का प्रत्यायोजन
31.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 24 / बीएल. 66/91	06.09.1991	केरल में कार्यालयों/शाखाओं के नाम में परिवर्तन
32.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 132 / सी.168 (एम) - 91	11.06.1991	विशेषीकृत गृह निर्माण वित्त शाखाएं खोलना
33.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 81 / सी 168 (64डी)- 91	16.02.1991	बैंक शाखाएं खोलना/बंद करना
34.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 68/सी 168 (64डी) - 91	16.01.1991	भविष्य में शाखा विस्तार के प्रति दृष्टिकोण
35.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 16/सी 168 (64डी) - 90	12.09.1990	भविष्य में शाखा विस्तार के प्रति दृष्टिकोण
36.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 72/सी 168 (64डी) - 87	14.12.1987	शाखा लाइसेंसकरण नीति 1985-90 - अनुषंगी/चल शाखाएं स्थापित करना
37.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 86/सी 168 -84	21.08.1984	स्थानीय इलाका/मार्ग आदि के नाम बदलने के कारण शाखा के नाम में परिवर्तन की आवश्यकता
38.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 147/सी 168 - 78	20.10.1978	बैंकों की शाखाओं के नाम में परिवर्तन
39.	बैंपविवि. सं. बीएल. 99/सी 168 - 68	19.11.1968	चल कार्यालय खोलना

